रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 10—सितम्बर 16, 2005 (भाद्रपद 19, 1927)

No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 10—SEPTEMBER 16, 2005 (BHADRA 19, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 881

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 863

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 7

भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ... 1689

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम ..... *

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ ..... *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट ..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित और होते हैं)... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश ..... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 1173

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस 439

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ..... *

भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 2229

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 247

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक ..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 881

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 863

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence..... 7

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence..... 1689

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations..... *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations ..... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..... *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 1173

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs..... 439

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners..... *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies..... 2229

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies 247

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi..... *

*Folio not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अगस्त 2005

सं. 107-प्रेज/2005--राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2005 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

श्री गुरू गोबिन्द पट्टनायक
सहायक फायर अधिकारी
उड़ीसा

श्री शोप्नेश्वर सामल
स्टेशन अधिकारी
उड़ीसा

श्री बिमल कृष्ण महापात्र
सहायक स्टेशन अधिकारी
उड़ीसा

श्री कृष्ण वचन्द्र दाश
लीडिंग फायरमैन
उड़ीसा

श्री ट्रिनीटे जेम्स
डिवीजनल फायर अधिकारी
पांडिचेरी

2. यह पुरस्कार राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(ii) के तहत प्रदान किये जाते हैं।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं. 108-प्रेज/2005--राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2005 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

श्री मेडासेट्टी सिमाचलम
लीडिंग फायरमैन
आंध्र प्रदेश

श्री बेथला वेंकट सत्यनारायण मुर्थी
लीडिंग फायरमैन
आंध्र प्रदेश

श्री पाथविदा सत्यनारायण
लीडिंग फायरमैन
आंध्र प्रदेश

श्री बेराम नागेश्वरा राव
लीडिंग फायरमैन
आंध्र प्रदेश

श्री मुदुनुरू सिवा राम राजू
लीडिंग फायरमैन
आंध्र प्रदेश

श्री बुसी वेंकट रमण मूर्थी
स्टेशन फायर अधिकारी
आंध्र प्रदेश

श्री उदयकुमार शातिलाल क्रिस्टी
ड्राइवर-कम-पम्प आपरेटर
गुजरात

श्री बलवन्त सिंह वीरसिंह जादव
फायरमैन
गुजरात

श्री खुमानसिंह एभेसिंह चौहाण
ड्राइवर-कम-पम्प आपरेटर
गुजरात

श्री हितेशकुमार जसवन्तसिंह तपड़िया
उप-मुख्य अधिकारी (अग्नि)
गुजरात

श्री मोहनन कानोत्थम कण्डी
लीडिंग फायरमैन-2473
केरल

श्री रामाचन्द्रन नायर बालाकृष्णन नायर
फायरमैन-2525
केरल

श्री मोहम्मद इक्कुबाल अयोमन
फायरमैन ड्राइवर-कम-पम्प आपरेटर-1217
केरल

श्री सुधान चन्द साह
लीडिंग फायरमैन
मेघालय

श्री जेनामणि रंज्जन बिधुशेखर
सहायक अग्नि अधिकारी
उड़ीसा

श्री प्रकास चन्द्र पाणिग्राहि
सहायक अग्नि अधिकारी
उड़ीसा

श्री शिब राम पाणिग्राहि
स्टेशन अधिकारी
उड़ीसा

श्री रंक निधि साहु
स्टेशन अधिकारी
उड़ीसा

श्री गोलक चन्द्र जेना
सहायक स्टेशन अधिकारी
उड़ीसा

श्री भगबान सामल
लीडिंग फायरमैन
उड़ीसा

श्री बैकण्ठ नाथ भुयाँ
लीडिंग फायरमैन
उड़ीसा

श्री सुरेन्द्र बिसोइ
फायरमैन-300
उड़ीसा

श्री शिशिर कुमार भट्टाचारजि
फायरमैन-565
उड़ीसा

श्री अर्जुन चरन बेहेरा
फायरमैन-813
उड़ीसा

श्री रंगानाथन बालावेलन
फायरमैन-54
पांडिचेरी

श्री वीरानन मादुरापांडीयन
उप-निदेशक
तमिलनाडु

श्री रामास्वामी बलसामी
उप-निदेशक
तमिलनाडु

श्री नरसिम्हा जीवानन्डम
उप-निदेशक (कोर्स)
तमिलनाडु

श्री कालियापेरूमल सत्यमुर्ति
सहायक डिवीजनल अधिकारी
तमिलनाडु

श्री भीमा अर्जुनन
स्टेशन अधिकारी
तमिलनाडु

श्री दुराईसमे गोपाल
लीडिंग फायरमैन-3237
तमिलनाडु

श्री राजागोपाल मुत्थूस्वामी
ड्राइवर मैकेनिक-2802
तमिलनाडु

श्री नन्दन दक्षिणमूर्ती
ड्राइवर मैकेनिक-2819
तमिलनाडु

श्री बाशु अब्दुल कलील
फायरमैन ड्राइवर-2851
तमिलनाडु

श्री कांगासबाई आरूयदुर्रे
फायरमैन ड्राइवर-2860
तमिलनाडु

श्री समिकन्नू अदेइकलासामी
फायरमैन-3007
तमिलनाडु

श्री कन्नुसामी पूमालाई
फायरमैन-3024
तमिलनाडु

श्री गोपाल कृष्ण भट्टाचार्या
उप-निदेशक
पश्चिम बंगाल

श्री बिभास गुहा
डिवीजनल अधिकारी
पश्चिम बंगाल

श्री तुषार कुमार पोडार
मोबाइलीजिंग अधिकारी
पश्चिम बंगाल

श्री एम डी ओसमान
फायर इंजन ऑपरेटर-कम-ड्राइवर
पश्चिम बंगाल

श्री बादल चन्द्र सरकार
फायर ऑपरेटर
पश्चिम बंगाल

2. यह पुरस्कार राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(ii) के तहत प्रदान किये जाते हैं।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं. 109-प्रेज/2005--राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2005 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवा के लिए होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

श्री हरीशचन्द्र पठानिया
डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेण्ट
मध्य प्रदेश

श्री मदन लाल दुबे
प्लाटून कमाण्डर
मध्य प्रदेश

2. ये पदक होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा पदक प्रदान करने हेतु विनियमित नियमों के नियम 3(ii) के अंतर्गत प्रदान किये जाते हैं।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं. 110-प्रेज/2005--राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2005 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवा के लिए होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

श्री जगदीश कुमार मोहनलाल जोषी
डिविजनल कमाण्डर
गुजरात

डा. नवीन कुमार कृष्ण कुमार गुप्ते
सेकण्ड इन कमाण्ड
गुजरात

श्री चन्द्रकांत केशवलाल पंड्या
सीनियर प्लाटून कमाण्डर
गुजरात

श्री अनिल कुमार मगनलाल भगवाकर
सेकण्ड इन कमाण्ड
गुजरात

श्री किरटसिंह रेवुभा झाला
सूबेदार कम्पनी कमाण्डर
गुजरात

श्री मुकेशकुमार श्यामलाल त्रिवेदी
कम्पनी कमाण्डर
गुजरात

श्री किशोरीलाल धनगर
डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेट
मध्य प्रदेश

श्री हीरालाल त्रिपाठी
कम्पनी कमाण्डर
मध्य प्रदेश

श्री अम्बिका प्रसाद त्रिपाठी
कम्पनी कमाण्डर
मध्य प्रदेश

श्री शकील उररहीम आजमी
कम्पनी कमाण्डर
मध्य प्रदेश

श्री बलवन्त मधुकर भावे
उप निरीक्षक (एम)
मध्य प्रदेश

श्री रामशिरोमणि मिश्रा
हवलदार अनुदेशक
मध्य प्रदेश

कुमारी अनिता सिंह ठाकुर
नायक
मध्य प्रदेश

श्री रत्नाकर नायक
प्लाटून कमाण्डर
उड़ीसा

श्री प्रकास चन्द्र साहू
सहायक सेक्शन लीडर
उड़ीसा

श्रीमति सुसिला बेहेरा
सेक्शन लीडर
उड़ीसा

श्री आर. ए. कूलवाल
पोस्ट वार्डन
राजस्थान

श्री एम. डी. एलांगोवन
कम्पनी कमाण्डर
तमिलनाडु

श्री ए. वेलूस्वामी
कम्पनी कमाण्डर
तमिलनाडु

श्री ई. आनन्दन
सहायक प्लाटून कमाण्डर
तमिलनाडु

श्री आर. एलांगोवन
प्लाटून कमाण्डर
तमिलनाडु

श्री आर. राजेन्द्र प्रसाद
कम्पनी कमाण्डर
तमिलनाडु

श्री जे. सेल्वराज
कम्पनी कमाण्डर
तमिलनाडु

श्री एस. रामालिंगम
सहायक प्लाटून कमाण्डर
तमिलनाडु

श्री दिनेश कुमार जोशी
उप प्रभागीय वार्डन
उत्तर प्रदेश

श्री फरमान इलाही सैफी
स्टाफ आफिसर
उत्तर प्रदेश

श्री ऋतुराज
उप प्रभागीय वार्डन
उत्तर प्रदेश

श्री योगेन्द्र कुमार रस्तौगी
स्टाफ आफिसर
उत्तर प्रदेश

श्री रामभाउ महादेवराव बांते
मोटर ड्राइवर
एन.सी.डी.सी. नागपुर

2. ये पदक होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा पदक प्रदान करने हेतू विनियमित नियमों के नियम 3(ii) के अंतर्गत प्रदान किये जाते हैं।

बरूण मित्रा
निदेशक

संख्या- 111- प्रेज/2005 - राष्ट्रपति, स्वतन्त्रता दिवस 2005 के अवसर पर उपमहानिरिक्षक सुरिन्द्र पाल सिंह बसरा (0003-ई) को उनकी सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक प्रदान करते हैं ।

2. यह पदक तटरक्षक प्रदान करने से संबंधी नियमावली के नियम 11(i) के अंतर्गत दिया जा रहा है ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

संख्या - 112 - प्रेज/2005 - राष्ट्रपति, स्वतन्त्रता दिवस 2005 के अवसर पर निम्नलिखित अफसरों को उनकी बहादुरी के लिए तटरक्षक पदक प्रदान करते हैं :-

(क) कमांडेंट अली मुत्ताहर (0104-एल)
(ख) कमांडेंट मिलिंद मनोहर पाटिल (0252-वी)
(ग) कमांटेंट (जे जी) प्रभदीप सिंह मल्होत्रा (0305-क्यू)
(घ) कमल सिंह, उत्तम नाविक (एस ए) (03278-जैड)

2. यह पुरस्कार तटरक्षक प्रदान करने से संबंधित नियमों के नियम 11(i) के अंतर्गत दिया जाता है और साथ ही उनको जनवरी 2004 से नियम 13(क) के अधीन स्वीकार्य विशेष भत्ता भी देय होगा । सेवा के विवरण की प्रतिलिपि संलग्न है।

प्रशस्ति उल्लेख

1. कमांडेन्ट अली मुत्ताहर (0104-एल) ने 17 अगस्त 1984 से भारतीय तटरक्षक में सेवा शुरू की । 27 अप्रैल 2004 को इन्होंने भारतीय तटरक्षक पोत विवेक की कमान संभाली । ये पहले वाणिज्यक पायलट लाइसेंस (सी पी एल) प्रवेश विमान चालक अफसर हैं, जिन्होंने अपतटीय गश्ती पोत (ओ पी वी) की कमान संभाली । नेतृत्व में वयावसायिकता तथा कुशल संचालन का मिश्रण और उन सबसे उपर अपने कार्मिकों को प्ररेणा प्रदान करना, जिसके फलस्वरूप उन्होने पोत को एक सुगठित व्यवसायिक यूनिट के रूप में ढाल दिया ।

2. 26 दिसम्बर 2004, को उत्तरी अण्ड़मान द्वीप के पूर्व में जब पोत अनन्य आर्थिक क्षेत्र में गश्त कर रहा था तो उसे भारी कंपकपाहट का अनुभव हुआ जिसका बाद में पता चला कि वह सुमात्रा के 160 कि.मी. पश्चिम में उत्केन्द्रित भूकंप के कारण हुआ था, जिसने दक्षिण पूर्व एशिया को दोलित कर दिया । रिक्टर स्केल पर भूकंप का परिमाप 9.0 था । ग्रेट निकोबार द्वीप में राहत अभियानों के लिए पोत को तुरन्त बुलाया गया । वापसी पर पोत को इन्टरव्यूह द्वीप में एक पुलिस चौकी के आठ पुलिस कर्मियों को स्थानांतरित करने का आदेश प्राप्त हुआ । केवल चार चोट-ग्रस्त पुलिस कर्मियों को स्थानांतरित किया जा सका, क्योंकि शेष चार कर्मियों को पुलिस चौकी पर शस्त्र तथा गोला बारूद के अनुरक्षण हेतु छोड़ना पड़ा । 27 दिसम्बर 2004 के प्रात: काल में पोत ने पोर्ट ब्लेयर के बंदरगाह मे प्रवेश किया तथा 1800 बजे वह 12500 किलोग्राम सूखा राशन, 1200 लीटर केरोसिन तेल तथा अन्य राहत सामाग्री लेकर कैम्पबेल बे को रवाना हुआ, क्योंकि ग्रेट निकोबार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विनाश तथा हताहतों की सूचना प्राप्त हुई थी ।

3. कैम्पबेल बे की ओर जाते हुये, चोवरा द्वीप पर हवाई सर्वेक्षण करने के लिए पोत से हेलिकाप्टर ने उड़ान भरी । हेलिकॉप्टर ने मृतकों तथा धायलों की अधिक संख्या की सूचना दी । पोत ने तुरंत द्वीप पर अपने चिकित्सा दल को हवाई मार्ग से उतार दिया । पोत के चिकित्सा दल ने द्वीप के सभी घायलों को पूर्ण चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराया तथा गंभीर रूप से चोट ग्रस्त 25 लोगों को पोत में स्थानांतरित किया । शेष जनसंख्या को 200 किलोग्राम चावल, 100 किलोग्राम दाल तथा दो दिन के लिए पका भोजन उपलब्ध कराया गया । घायलों को पोर्टब्लेयर स्थानांतरित करने के लिए कार निकोबार ले जाया गया । पोत 29 दिसम्बर 2004 की शाम को कैम्पबेल बे पहुंचा । पहली निकासी कार्रवाई चिंगाम

बस्ती से शुरू की गई जहां पोत के अंगभूत हेलिकॉप्टर तथा नौका ने 67 असहाय स्थानीय लोगों की निकासी की । पोत ने दक्षिणी खाड़ी में लंगर डाला हुआ था जिससे कि कम से कम समय में अधिक लोगों की निकासी की जा सके । निकासियों के लिए पोत की नौका तथा हेलिकॉप्टर का पूरे दिन व्यापक रूप से उपयोग किया गया । दिन के अंत तक 81 उत्तरजीवितों की निकासी की जा चुकी थी ।

4. 01 जनवरी 2005 को लगभग 1700 बजे, पोत के हेलिकॉप्टर ने निकासी विशेष से लौटने पर कैम्पबेल बे के पास इण्डोनेशियाई नौका के उपस्थित होने की सूचना दी । नौका तथा उसके कर्मियों की स्थिति खराब थी । वे समुद्र में अनुमानित रूप से पिछले 8-9 दिनों से असहाय बह रहे थे । चूंकि सूर्यास्त पश्चात हेलिकॉप्टर अभियान संभव नहीं था, कमान अधिकारी ने इण्डोनेशियाई कार्मिकों के बचाव के लिए पोत की नौका को भेजने का निर्णय लिया । कमान अफसर के मार्गदर्शन के अनुसार पूरी रात अभियान चालू रहा तथा 12 लोगों को बचाया गया ।

5. परिस्थिति की अनिश्चितता तथा प्रतिकूल मौसम की स्थिति, कमान अफसर के रूप में अफसर की योग्यता को परख रही थी इस संकटमय स्थिति में पोत ने पोतारोहण तथा राहत सामग्री के वितरण के अत्यंत कठिन कार्य तथा सैकड़ों मूल्यवान जीवनों की निकासी एक व्यावसायिक ढंग से की । उत्कृष्ट कमान तथा नियंत्रण, नजदीकी एकजुट टीम कार्य, लक्ष्य केन्द्रित अभिविन्यास तथा आश्चर्यजनक नेतृत्व विशेषताओं की पहचान के लिए कमांडेन्ट अली मुत्ताहर (0104-एल) को तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान करने की कड़ी सिफारिश की जाती है ।

प्रशस्ति उल्लेख

1. कमांडेन्ट मिलींद मनोहर पाटील (0252-वी) ने 14 जनवरी 1990 को तटरक्षक में सेवा आरम्भ की । इन्होंने 22 मई 2004 को तटरक्षक जिला कमांडर, निकोबार (कोमडिस 10) का कार्यभार संभाला ।

2. 26 दिसम्बर 2004 को कैम्पबैल बे में 8.9 रिक्टर स्केल की तीव्रता से आये भूकंप के कारण सूनामी प्रभाव से ग्रेट निकोबार द्वीप को अभूतपूर्व झटका लगा तथा बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची । कमांडेन्ट मिलींद मनोहर पाटील, लाल टिकरी में पारावारिक आवास परिसर में रह रहे सभी भारतीय तटरक्षक के परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहुँचें । उसके तुरन्त बाद ही उन्होने पारिवारिक आवास में रह रहे कर्मियों को साथ लेकर अन्यत्र पारिवारिक आवास (ओ टी एम) में रह रहे कर्मियों की स्थिति की जांच की । एकल आवास में रह रहे अभ्यावेशित व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित होने पर, कमांडेन्ट मिलींद मनोहर पाटील ने अपना ध्यान कैम्पबेल बे नगर की ओर केन्द्रित किया ।

3. अफसर ने सरकारी संगठनों के स्थानीय प्रमुखों के संयोजन से एक आपदा प्रबंधन दल तैयार किया । चुँकि कैम्पबेल बे की जेट्टी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, इसलिए अफसर ने हवाई पट्टी को स्थिति जानने के लिए कूच किया । कैम्पबेल बे तथा शेष विश्व के बीच विमान ही अकेला माध्यम है । हालांकि सूनामी के कारण हवाई-पट्टी पर भारी मात्रा में मलबा गिरा था, परन्तु अफसर ने अनुमान लगाया कि हवाई-पट्टी अभी भी इस्तेमाल योग्य है । अफसर ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा (एम ई एस) की सहायता से हवाई पट्टी (रनवे) को साफ करवाने का कार्य शुरू किया । अफसर की दूरदृष्टि तथा दृढ संकल्प के परिणाम स्वरूप हवाई पट्टी रिकार्ड समय में चालू हो गयी, फलस्वरूप कैम्पबेल बे में भारी मात्रा में राहत सामग्री प्राप्त हो सकी ।

4. कमांडेन्ट मिलींद मनोहर पाटील ने नजदीकी क्षेत्र में नौचालन कर रहे भारतीय तटरक्षक पोत कनकलताा बरूआ को विभिन्न स्थानों से चोटग्रस्त लोगों की निकासी के लिए, तैयार किया । उन्होंने, सभी संभव संसाधनों को एकत्र कर, शिविरों की व्यवस्था करने तथा ज्यादा चोटग्रस्त तथा प्रभावित लोगों को राहत सुनिश्चित करने के लिए, अथक कार्य किया । मलबों में दबे वाहनों तथा नौकाओं

को निकालने तथा उनको क्रियाशील बनाने में अफसर सहायक रहे । अफसर ने भारतीय तटरक्षक द्वारा व्यवस्थित सुधार शिविरों में स्थानांतरित कर लाये गये लगभग 3000 लोगों को आहार तथा चिकित्सा सहायता की प्राथमिकता सुनिश्चित की । ऐसी स्थिति में टीम कार्य के महत्व को समझते हुए, कमांडेन्ट मिलींद मनोहर पाटील ने अण्डमान तथा निकोबार कमान तथा अन्य स्थानीय संगठनों के अन्य अवयवों की प्रर्याप्त सहायता का प्रबंध किया । उन्होंने जहाजरानी सेवाएं निदेशालय के पोत एम वी कैचल को संभारिकी सहायता दी तथा उसे लिटिल निकोबार द्वीप समूह के लिए तैनात करवाया जहां पोत ने लगभग 200 उत्तरजीवितों की निकासी की । उन्होने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा, अण्डमान लोकनिर्माण विभाग तथा अण्डमान तथा लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण विभाग के प्रतिनिधियों के संयुक्त दल को इंदिरा प्वांइट को जा रहे रोड़ का सर्वेक्षण करने तथा उसे अस्थायी रूप से मरम्मत करने की संभाव्यता का मूल्यांकन करने के लिए तैनात किया । कुछ ही दिनों के अर्न्तगत वे 14 राहत शिविरों में रह रहे लगभग 5800 लोगों के प्रशासन का पर्यवेक्षण कर रहे थे । अफसर ने विभिन्न संस्थाओं के मध्य अपेक्षित समन्वय को सुनिश्चित किया ताकि राहत अभियानों से वाछिंत परिणाम प्राप्त हो सकें । उनकी नेतृत्व योग्यता के परिणाम स्वरूप हजारों असहाय लोगों की निकासी तथा मूल्यवान जीवनों का बचाव सफलतापूर्वक किया जा सका ।

5. जिला मुख्यालय (निकोबार) के अन्यत्र पारिवारिक आवास (ओ टी एम) परिसर के नीचे क्षेत्र में स्थित होने के कारण वह सूनामी की वजह से पूर्णतया बर्बाद हो चुका था । कमांडेन्ट मिलींद मनोहर पाटील के उत्कृष्ट जनसंपर्क के कारण उन्होंने जिला मुख्यालय निकोबार के अन्यत्र पारिवारिक आवास (ओ टी एम) परिसर की पुर्नस्थापना के लिए स्थानीय प्रशासन से भारतीय तटरक्षक को 9.18 हेक्टेयर राजस्व भूमि दिलवाने में सफलता हासिल की । अफसर द्वारा शुरू की गई सामयिक कार्रवाई के कारण जिला मुख्यालय को पुनः शुरू करने में भारतीय तटरक्षक को मंदद मिली ।

6. कमांडेन्ट मिलींद मनोहर पाटील (0252-वी) द्वारा महाविपत्ति के समय में प्रदर्शित असाधारण उत्साह, अत्यंत दबावपूर्ण स्थिति में उत्कृष्ट चिंतनशीलता, उच्च नेतृत्व गुणवत्ता तथा कुशल संसाधन प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए उन्हे तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान करने की कड़ी सिफारिश की जाती है ।

प्रशस्ति उल्लेख

1. कमांडेन्ट (क श्रे) पी एस मल्होत्रा (0305-एस) ने 11 जनवरी 1992 को भारतीय तटरक्षक में सेवा शुरू की । 28 जून 2002 को इन्होंने 848 तटरक्षक हेलिकॉप्टर स्क्वाड्रन के स्टाफ पायलट का कार्यभार ग्रहण किया । इन्हें 2265 घंटों का उड़ान अनुभव है तथा ये चेतक हेलिकॉप्टर के एक पूर्णतया संक्रियात्मक मास्टर ग्रीन पायलट हैं । अफसर एक अति-अभिप्रेरक तथा एक कुशल उड़ाक हैं जोकि स्क्वाड्रन की सभी संक्रियात्मक तथा सौंपे गये कार्यों को शत प्रतिशत पूरा करने में सहायक रहा है ।

2. 26 दिसम्बर के दुर्भाग्यपूर्ण रविवार को 0845 बजे तटरक्षक वायु स्टेशन(चेन्नई) से एक खोज तथा बचाव (एस ए आर) संदेश प्राप्त हुआ जिसमें ऊँची लहरों द्वारा मरीना समुद्रतट(बीच) ग्रस लेने तथा लोगों के डूबने की सूचना दी गयी थी । कोई एक पल गंवाये बिना, कमांडेंट (क श्रे) पी एस मल्होत्रा, तात्कालिक विमानवाहित सह-पायलट तथा दो वायुकर्मी गोताखोरों के साथ, भारतीय तटरक्षक हेलिकाप्टर 806 से उड़ान भरने के लिए चल पड़े । मरीना बीच पर पायलटों को सूनामी लहरों की वजह से हुई बर्बादी दिखाई दी । नौकाओं, कुटिरों तथा लोगों के साजो-सामान को क्षुब्ध लहरें ऊपर तथा नीचे की ओर उछाल रही थीं । स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, कमांडेन्ट (क श्रे) पी एस मल्होत्रा तुरन्त हरकत में आये तथा समुद्र में एक संगठित खोज प्रतिरूप कार्रवाई शुरु कर दी । थोड़ी ही देर में हेलिकॉप्टर ने एक लकड़ी के छोटे तख्ते के सहारे तैरते हुए तथा व्यग्र हिल्लोरों पर मदद के लिए पुकारते एक आदमी को ढूंढ निकाला । उन्होंने तुरन्त अपने गोताखोंरों को डूबते व्यक्ति के नजदीक उतारा । गोताखोर ने व्यक्ति को बचाव पट्टे से बाँधकर हेलिकॉप्टर में ऊपर खींच लिया । व्यक्ति को तुरन्त चिकित्सा सहायता के लिए क्षेत्रीय मुख्यालय (पूर्व) के सुपुर्द कर दिया । उन्होंने अपनी खोज पुन: शुरू कर दी तथा रोयापुरम मछुवाही बंदरगाह के पास एक डूबती नौका के सहारे जीवन के लिए संघर्ष करते ओर दो मछुवारों को ढूंढ लिया । एक बार पुन: गोताखोर को उतारा गया तथा दोनों मछुवारों को एक-एक करके हेलिकॉप्टर में चढ़ाया गया । हेलिकॉप्टर को नजदीकी एक संकरी मछुवाही जेट्टी पर उतारा गया जहां पर उन्हें इंतजार कर रहे लोगों की भीड़ को सौंप दिया गया । अब तक हेलिकॉप्टर का ईंधन कम हो चुका था तथा पायलटों ने निर्णय लिया कि पुन: वापस बेस में जाकर दूसरा एयरक्रॉफ्ट ले लिया जाये । समय खराब किए बिना कमांडेन्ट (क श्रे) पी एस मल्होत्रा ने दूसरा तैयार हेलिकॉप्टर लिया तथा पाँच मिनटों के अंदर

वे फिर हवा में कार्यरत थे । उन्होंने खुले समुद्र में कुछ मछुवारों को जीवन के लिए सघर्ष करते देखा, जिनकी नौकाओं के टुकड़े-टुकड़े हो चुके थे । मुक्त गोताखोर ने समुद्र में उतरकर उन्हें बचाव पट्टा पहनने में मदद की । उत्तरजीवितों को समुद्र से ले जाकर, तरंग-रोध पर एम्बुलेन्स के साथ इंतजार कर रहे लोगों के सुपुर्द कर दिया । तरंग-रोध के बहुत संकरे होने के बावजूद भी सूक्ष्म तथा अत्यंत उड़ान कौशल को प्रदर्शित करते हुए, बारंबार अवतरण (लैण्डिंग) करने की प्रक्रिया में 11 उत्तरजीवितों को प्रतीक्षारत एम्बुलेन्स तक सुरक्षित पहुंचाया ।

3. समुद्र बहुत क्षुब्ध था तथा बहुत तेज हवाएं चल रही थी । ढूंढना, मंडराना तथा उत्तरजीवितों को खींचना बहुत ही पेचीदा तथा थकाने वाला था । यह एक थका देने वाला कार्य था, परन्तु कमांडेन्ट (क श्रे) पी एस मल्होत्रा ने अपने सह-पायलट के साथ डयूटी के लिए अत्यंत अध्यवसाय, समपर्ण तथा निश्चित मौत के मुँह से चौदह कीमती जीवनों को बचाने में असीम मनोबल व जोश को प्रदर्शित किया । वे पाँच घंटों तक उड़ान भरते रहे तथा अपनी रेंज के अंर्तगत सभी उत्तरजीवितों का बचाव कर लिया । मरीना तट के पास भारतीय तटरक्षक हेलिकॉप्टर द्वारा सामयिक बचाव अभियानों को व्यापक रूप से अखबारों तथा इलैक्ट्रॉनिक मीड़िया में प्रदर्शित किया गया जिसकी विश्वभर में सराहना की गयी ।

4. कमांडेन्ट (क श्रे) पी एस मल्होत्रा ने साहस, डयूटी के प्रति समर्पण, बेहतर कर्मी-समन्वय, निर्णयात्मकता तथा क्रमबद्धता का अनुकरणीय प्रदर्शन किया, जिसके परिणामस्वरूप समुद्र से चौदह कीमती प्राणों को बचाया तथा छह मृत शवों को ढूंढ निकाला गया । इन्होंने तटरक्षक सेवा की उच्च परंपराओं तथा इसके आदर्श वाक्य 'वयं रक्षाम:' को बनाये रखा है तथा तटरक्षक सेवा के लिए प्रशंसा अर्जित की है । कमांडेन्ट (क श्रे) पी एस मल्होत्रा (0307-क्यू) को तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान करने की कड़ी सिफारिश की जाती है ।

प्रशस्ति उल्लेख

1. कमल सिंह, उत्तम नाविक (भंड़ार सहायक), वायुयान कर्मी गोताखोर (03278-जैड) ने 02 अगस्त 1996 को भारतीय तटरक्षक में सेवा शुरू की । 23 जनवरी 2003 को उन्होंने वायुयान कर्मी गोताखोर के रूप में 848 तटरक्षक हेलिकॉप्टर स्क्वाड्रन में कार्य ग्रहण किया । अपने उड़ान अनुभव के खाते में उन्होंने कुल 293:55 घंटे व्यतीत किए हैं ।

2. 26 दिसम्बर 2004 के दुर्भाग्यपूर्ण, दिवस को, जब घातक सूनामी ने तमिलनाडु तटीय क्षेत्र पर प्रहार किया, तब उत्तम नाविक कमल सिंह, भारतीय तटरक्षक 814 हेलिकॉप्टर की खोज एवं बचाव (एस ए आर) उड़ानों में वायुयान कर्मी गोताखोर के तौर पर तैनात थे । उनको सूनामी लहरों द्वारा क्षुब्ध समुद्र से लोगों को बचाने में आने वाली गंभीर चुनौतियों के लिए सचेष्ट कर दिया गया था । इस प्राकृतिक आपदा का साहस के साथ सामना करने के लिए वे स्वेच्छा से आगे आये तथा अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए, क्रूर समुद्री लहरों से प्राणियों की रक्षा के लिए वे तैयार हो गये थे ।

3. जैसे ही तटरक्षक हेलिकॉप्टर 814 मरीना बीच के ऊपर पहुँचा, अधिकाधिक उत्तरजीवितों तथा घातक लहरों से हुई त्रासदी के कारण संभावित असहाय लोगों को बचाने के लिए उन्होंने तेजी से कारवाई शुरू कर दी । टूटी नौकाओं तथा कैटामारैन के बहुत से टुकड़े पानी में तैर रहे थे तथा कुछ उत्तरजीवी उन टुकड़ों को पकड़े हुए मदद के लिए पुकार रहे थे । कमल सिंह, उत्तम नाविक को तटरक्षक हेलिकॉप्टर 814 द्वारा, उन क्षतिग्रस्त तथा अपवाहित नौकाओं, जोकि अशांत समुद्र के कारण खतरनाक तरीकों से ऊपर नीचे झूल रही थी, पर तुरन्त उतारा गया । स्वंय को चोट से बचाने के लिए उसने नौकाओं की अधिरचना को उसने दूर धकेल दिया । मुश्किलों के होने पर भी कमल सिंह, उत्तम नाविक क्षतिग्रस्त नौकाओं पर उतरे तथा उत्तरजीवितों के इर्द-गिर्द बचाव पट्टा पहनाने को नियंत्रित किया । उन उत्तरजीवितों को फिर एक-एक करके हेलिकॉप्टर में चढ़ाकर तरंग-रोध के नजदीक उतार दिया । तथापि, हेलिकॉप्टर कमल सिंह, उत्तम नाविक को छोड़ कर चला गया था तथा वह नजदीकी शेष उत्तरजीवितों की देखभाल के लिए क्षुब्ध समुद्र में तैरता रहा । उस समय घायल उत्तरजीवितों द्वारा उसे सख्ती से जकड़े रहना तथा

उनके साथ स्वंय को डूबने से बचाने के लिए ढीला छोड़ना एक बड़ा मुश्किल कार्य था । यह प्रक्रिया चलती रही तथा कमल सिंह, उत्तम नविक ने विभिन्न क्षतिग्रस्त नौकाओं, जलमग्न कैटामारैन के टुकड़ों तथा तैरते हुए लकड़ी के तख्तों से लगातार ग्यारह असहाय उत्तरजीवितों का बचाव किया ।

4. कमल सिंह, उत्तम नाविक ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए तथा ड्यूटी के लिए अभूतपूर्व निष्ठा के प्रदर्शन द्वारा ग्यारह उत्तरजीवितों को बचाया तथा संकटमय स्थिति के होने पर भी खराब समुद्र में चार शवों को बरामद किया जिससे सेवा ने प्रंशसा अर्जित की । यह समर्पण तथा साहसिक कार्य भारतीय तटरक्षक की उच्च परंपराओं के अनुरूप है । कमल सिंह, उत्तम नाविक (एस ए), वायुयान कर्मी गोताखोर (03278-जैड़) को तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान करने की कड़ी सिफारिश की जाती है ।

संख्या - 113 प्रेज/2005 - राष्ट्रपति, स्वतन्त्रता दिवस 2005 के अवसर पर निम्नलिखित अफसरों को उनकी सराहनीय सेवा के लिए तटरक्षक पदक प्रदान करते हैं :-

(क) कमांडेंट दिनेश राजपुत्रन(0142-एल)
(ख) कमांडेंट आलोक कुमार (0231-एक्स)
(ग) कमांटेंट (जे जी) अतुल चन्द्रकांत डाँडेकर (0291-एल)
(घ) विजय कुमार सिंह, अधिकारी (क्यू ए) (00589-आर)

2. यह पदक तटरक्षक प्रदान करने से संबंधी नियमावली के नियम 11(i) के अंतर्गत दिया जा रहा है ।

बरूण मित्रा

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं० 114 - प्रेज/2005- राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2005 के अवसर पर निम्नलिखित कारागार कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान करते हैं।

i) श्री गोपाल प्रसाद ताम्रकर, जेल अधीक्षक, भोपाल।
ii) श्री रवि राज सिंह,अधीक्षक, जिला जेल, शाजापुर।
iii) श्री प्रभु लाल लबाना, जेलर, सब-जेल, देवास।
iv) श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा, उप-जेलर, सब-जेल, बीजावर।
v) श्री वसंत राव सागने, पुरूष नर्स, सेट्रल जेल, रीवा।
vi) श्री भानु प्रकाश शर्मा, शिक्षक, सेंट्रल जेल, ग्वालियर।
vii) श्री ए. देवराज, सहायक जेलर, केन्द्रीय कारागार, वेल्लूर।
viii) श्रीमती आर. विजया, प्रमुख हैड, वार्डर (महिला), सब-जेल, विल्लुपुरम।
ix) श्री टी. सिवाषणमुगा सुन्दरम, ग्रेड-I वार्डर, सब-जेल, चेंगलपेट।
x) श्री एन. एसक्किअप्पन, ग्रेड-I वार्डर, केन्द्रीय कारागार, चेन्नई।
xi) श्री एन. असेन्सा इब्राहिम, ग्रेड-I वार्डर, केन्द्रीय कारागार, मदुरै।
xii) श्री पी. बालासुब्रमणियम, ग्रेड-II वार्डर, केन्द्रीय कारागार, मदुरै।

2. ये पदक सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाने के संबंध में लागू नियमों के नियम 4(iii) के अधीन प्रदान किए जाते हैं ।

बरूण मित्रा
(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं० - 115 प्रेज/2005- राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

श्री अनिल चुड़ामन महाजन,
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
नासिक,
महाराष्ट्र।

दिनांक 21 फरवरी, 2004 को 06 बजकर 45 मिनट पर नासिक अग्निशमन केंद्र में सूचना मिली कि होटल रसोई, नासिक के परिसर में एक चीता घुस गया है।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री अनिल चुड़ामन महाजन अपने स्टाफ सहित तत्काल घटना स्थल की ओर रवाना हुए। घटना स्थल पर पहुंचने पर श्री अनिल चुड़ामन महाजन मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने देखा कि चीता वन में भटकने के उपरांत होटल की इमारत में घुस गया है और मच्छर की जाली में फंस गया, और उसकी अगली टांग दरवाजे की चौखट और शटर के बीच फंस गई थी। घटना स्थल पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारी चीते को जिंदा पकड़ने की योजना बना रहे थे, इस प्रयोजन हेतु एक बेहोश करने वाली बन्दूक और पिंजरा मंगवाया गया। अचानक चीता फंसी हुई स्थिति से बच निकलने में सफल हो गया और होटल परिसर से बाहर आ गया। आस-पास के क्षेत्र के लोगों के लिए उत्पन्न खतरे का आभास करते हुए श्री अनिल चुड़ामन महाजन और उनके अग्निशमन स्टाफ ने चीते को नायलन की जाली में फंसाने की योजना बनाई। श्री हेमन्त दलवी, एक स्वयंसेवक और श्री महेश सिंह, होटल का एक रसोईया भी उनके दल में शामिल हो गए । जब श्री महाजन अपने दल सहित चीते को फंसाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो श्री हेमन्त और श्री महेश को चीते ने पकड़ लिया और उन्हें जख्मी कर दिया । अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह किए बिना श्री महाजन खाली हाथ ही चीते से भिड़ गए और शरीर पर गंभीर घाव हो जाने के बावजूद भी वे श्री हेमन्त दलवी और श्री महेश सिंह को बचाने में सफल हो गए।

श्री अनिल चुड़ामन महाजन ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, नेतृत्व, व्यवसायिक कुशलता और उच्च कोटि की कर्त्तव्य निष्ठा का प्रदर्शन किया।

यह पुरस्कार वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(i) के तहत प्रदान किये जाते हैं और परिणामतः दिनांक 21.2.2004 से नियम 5(क) के तहत अनुमेय विशेष भत्ता इसके साथ देय है।

बरूण मित्रा,
(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं० - 116 प्रेज/2005- राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

श्री पद्म नावा बेहरा
फायरमैन सं.1714
उड़ीसा ।

दिनांक 16.06.2004 को 05 बजकर 10 मिनट पर कटक अग्निशमन केंद्र में दूरभाष पर सूचना मिली कि दो व्यक्ति काठजोड़ी नदी, कटक के तेज बहाव में डूब रहे थे।

अग्निशमन केंद्र का एक स्टाफ सदस्य श्री पद्म नावा बेहरा तत्काल घटना स्थल की ओर रवाना हुआ । नदी तट पर पहुंचने पर उसने देखा कि श्री रंजन प्रधान और श्री कालिया मोहराना नदी के बहाव में बहे जा रहे थे। वे दोनों अपने जीवन को बचाने के लिए बुरी तरह संघर्ष कर रहे थे। दर्शकों की भीड़ में से कोई भी पीड़ितों को बचाने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। यह भांपते हुए कि उनकी जिंदगी खतरे में है श्री पद्म नावा बेहरा, फायरमैन और श्री विवेकानंद दास, फायरमैन पूरे संतुलन और सूझ-बूझ के साथ तेज बहाव वाली नदी में कूद पड़े। वे दोनों पीड़ितो की बाजूओं को पकड़ने में कामयाब हो गए और नदी के तेज बहाव को चीरते हुए श्री रंजन प्रधान और श्री कालिया मोहराना को सुरक्षित रूप से नदी से बाहर निकालने में सफल हुए।

अतः श्री पद्म नावा बेहरा ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, नेतृत्व, व्यावसायिक कुशलता और उच्च कोटि की कर्त्तव्य-निष्ठा का प्रदर्शन किया।

यह पुरस्कार, वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(i) के तहत प्रदान किये जाते हैं और परिणामतः दिनांक 16.6.2004 से नियम 5(क) के तहत अनुमेय विशेष भत्ता इसके साथ देय है।

वरुण मित्रा
(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं० - 117 प्रेज/2005- राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

श्री विवेकानन्द दास,
फायरमैन संख्या 754,
उड़ीसा ।

दिनांक 16.06.2004 को 0510 बजे कटक अग्निशमन केन्द्र में दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति कटक में काठजोड़ी नदी के तेज बहाव में डूब रहे हैं ।

अग्निशमन केन्द्र के दल के सदस्य श्री विवेकानन्द दास तत्काल ही घटना स्थल की ओर गए। नदी के किनारे पर पहुंच कर उन्होंने देखा कि श्री रंजन प्रधान और श्री कालिया मोहराना, नदी के तेज बहाव में बह गए थे। वे दोनों अपना जीवन बचाने के लिए बुरी तरह संघर्ष कर रहे थे। दर्शकों की भीड़ में से किसी ने भी पीड़ितों को बचाने का साहस नहीं किया। यह भांपते हुए कि उनकी जिन्दगी खतरे में है, श्री विवेकानन्द दास, फायरमैन और श्री पद्म नावा बेहेरा, फायरमैन पूरे सन्तुलन और सूझ-बूझ के साथ,तेज बहाव वाली नदी में कूद गए। वे दोनों पीड़ितों की बाजुएं पकड़ने में कामयाब हो गए और नदी के तेज बहाव को चीरते हुए श्री रंजन प्रधान और श्री कालिया मोहराना को सुरक्षित बाहर निकालने में सफल हुए।

इस प्रकार श्री विवेकानन्द दास ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, नेतृत्व, व्यवसायिक कुशलता और उच्च कोटि की कर्त्तव्य-निष्ठा का प्रदर्शन किया।

यह पुरस्कार, वीरता के लिए अग्नि शमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(i) के तहत प्रदान किया जाता है और परिणामत:दिनांक 16.6.2004 से नियम 5 (क) के तहत अनुमेय विशेष भत्ता इसके साथ देय होगा।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं० - 118 प्रेज/2005- राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

श्री प्रताप कुमार सिंह,
फायरमैन 1341,
उड़ीसा ।

दिनांक 30 अगस्त, 2004 को 1655 बजे धेनकनाल अग्निशमन केन्द्र में दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई कि गांव गुडियानाली में एक महिला कुंए में गिर गई है।

अग्नि शमन केन्द्र के दल के सदस्य श्री प्रताप कुमार सिंह, फायरमैन तत्काल ही घटना स्थल की ओर गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि श्रीमती पुष्पांजली बेहेरा, आयु लगभग 35 वर्ष, एक कुंए में गिर गई थीं और वह अपना जीवन बचाने के लिए संघर्ष कर रही थीं। कुंआ बहुत संकरा था और आस-पास के व्यक्तियों में से किसी ने भी कुंए के अंदर जाकर उसे बचाने का साहस नहीं किया। श्री प्रताप कुमार सिंह, फायरमैन अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना रस्सी की विकसित सीढ़ी के सहारे कुंए में उतर गए। तब उन्होंने श्रीमती पुष्पांजली बेहेरा को अपनी टांगें पकड़ा कर उसे सुरक्षित किया और अग्निशमन दल के अन्य सदस्यों ने उन दोनों को कुंए से सुरक्षित बाहर खींच लिया।

इस प्रकार श्री प्रताप कुमार सिंह ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, नेतृत्व, व्यवसायिक कुशलता और उच्च कोटि की कर्त्तव्य-निष्ठा का प्रदर्शन किया।

यह पुरस्कार, वीरता के लिए अग्नि शमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(i) के तहत प्रदान किया जाता है और परिणामत:दिनांक30.08.2004से नियम 5 (क) के तहत अनुमेय विशेष भत्ता इसके साथ देय होगा।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं० - 119 प्रेस/2005- राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

श्री कान्हु चरण स्वेन,
फायरमैन 268,
उड़ीसा।

दिनांक 14 अगस्त, 2004 को 0640 बजे अथागढ़ अग्निशमन केन्द्र में दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई कि गांव खुंतकता, कटक में एक महिला गहरे कुंए में गिर गई है।

अग्नि शमन केन्द्र के दल के सदस्य श्री कान्हु चरण स्वेन, फायरमैन तत्काल ही घटना स्थल की ओर गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि श्रीमती नामी बेहेरा एक कुंए में गिर गई थीं जो कि जर्जर हालत में था। आस-पास के व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति उसे बचाने के लिए कुएं के अन्दर जाने को तैयार नहीं था। श्री कान्हु चरण स्वेन, फायरमैन अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना रस्सी की विकसित सीढ़ी के सहारे कुंए में उतर गए और उन्होंने देखा कि श्रीमती नामी बेहेरा बेहोश थीं और कुंए की दीवार के साथ झुकी हुई थीं। सतत प्रयासों और अपने फायरमैन के उच्च कौशल का प्रयोग करके श्री स्वेन ने महिला को अपने कंधों पर बांध लिया और अग्निशमन दल के अन्य सदस्यों ने उन दोनों को कुंए से बाहर खींच लिया। इस कार्य में श्री स्वेन के सिर पर चोटें आईं।

इस प्रकार श्री कान्हु चरण स्वेन ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, नेतृत्व, व्यवसायिक कुशलता और उच्च कोटि की कर्त्तव्य-निष्ठा का प्रदर्शन किया।

यह पुरस्कार, वीरता के लिए अग्नि शमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(i) के तहत प्रदान किया जाता है और परिणामतः दिनांक 14.08.2004 से नियम 5 (क) के तहत अनुमेय विशेष भत्ता इसके साथ देय होगा।

बरुण मित्रा
(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं० - 120 प्रेज/2005- राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

श्री कंवर पाल,
फायरमैन,
उत्तर प्रदेश ।

दिनांक 27 नवंबर, 2003 को 0205 बजे पुलिस नियंत्रण कक्ष से दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई कि 12 यात्रियों को ले जा रही एक टाटा सूमो; जानी खुर्द, मेरठ के समीप एक पुल की रेलिंग से टकरा कर गंगा नहर में गिर गई है।

अग्नि शमन केन्द्र के दल के सदस्य श्री कंवर पाल, फायरमैन तत्काल ही घटना स्थल की ओर गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि टाटा सूमो में यात्रा कर रहे 12 यात्री गंगा नहर में अपने बचाव के लिए संघर्ष कर रहे थे। ठंडे मौसम के कारण पूरा क्षेत्र घने कोहरे से ढका हुआ था और बहुत कम दिखाई दे रहा था। श्री कंवर पाल, अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना अग्निशमन सीढ़ी के सहारे गंगा नहर में उतर गए, तब वे नहर के ठंडे पानी में बड़ी कठिनाई से, बहुत दूर तक तैर कर पीड़ितों तक पहुंचे और नहर से पांच व्यक्तियों को बचाने में सफल हुए।

इस प्रकार श्री कंवर पाल ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, नेतृत्व, व्यवसायिक कुशलता और उच्च कोटि की कर्त्तव्य-निष्ठा का प्रदर्शन किया।

यह पुरस्कार, वीरता के लिए अग्नि शमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(i) के तहत प्रदान किया जाता है और परिणामत: दिनांक 27.11.2003 से नियम 5 (क) के तहत अनुमेय विशेष भत्ता इसके साथ देय होगा।

वरुण मित्रा
(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं० - 121 प्रेज/2005- राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

श्री सुरेन्द्र सिंह,
फायरमैन,
उत्तर प्रदेश ।

दिनांक 27 नवंबर, 2003 को 0205 बजे पुलिस नियंत्रण कक्ष से दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई कि 12 यात्रियों को ले जा रही एक टाटा सूमो; जानी खुर्द, मेरठ के समीप एक पुल की रेलिंग से टकरा कर गंगा नहर में गिर गई है।

अग्नि शमन केन्द्र के दल के सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह, चालक, अग्निशमन सेवा तत्काल ही घटना स्थल की ओर गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि टाटा सूमो में यात्रा कर रहे 12 यात्री गंगा नहर में अपने बचाव के लिए संघर्ष कर रहे थे। ठंडे मौसम के कारण पूरा क्षेत्र घने कोहरे से ढका हुआ था और बहुत कम दिखाई दे रहा था। श्री सुरेन्द्र सिंह, अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना अग्निशमन सीढ़ी के सहारे गंगा नहर में उतर गए, तब वे नहर के ठंडे पानी में बड़ी कठिनाई से, बहुत दूर तक तैर कर पीड़ितों तक पहुंचे और नहर से सात व्यक्तियों को बचाने में सफल हुए।

इस प्रकार श्री सुरेन्द्र सिंह ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, नेतृत्व, व्यवसायिक कुशलता और उच्च कोटि की कर्त्तव्य-निष्ठा का प्रदर्शन किया।

यह पुरस्कार, वीरता के लिए अग्नि शमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(i) के तहत प्रदान किया जाता है और परिणामत: दिनांक 27.11.2003 से नियम 5 (क) के तहत अनुमेय विशेष भत्ता इसके साथ देय होगा।

बरुण मित्रा
(बरूण मित्रा)
निदेशक

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग)

संख्या : के-11022/9/2004-आर.सी. - राष्ट्रपति लोक प्रशासन प्रणाली को परिष्कृत करने के लिए एक विस्तृत रुपरेखा तैयार करने हेतु दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग नामक एक जाँच आयोग सहर्ष गठित करते हैं ।

2. इस आयोग में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

(i)	श्री वीरप्पा मोइली	अध्यक्ष
(ii)	श्री वी. रामचन्द्रन	सदस्य
(iii)	डॉ. ए.पी. मुखर्जी	सदस्य
(iv)	डॉ. ए.एच. कालरो	सदस्य
(v)	डॉ. जयप्रकाश नारायण	सदस्य
(vi)	श्रीमती विनीता राय	सदस्य-सचिव

3. यह आयोग देश के लिए सरकार के सभी स्तरों पर एक क्रियाशील, जवाबदेह बनाए रखने योग्य तथा कार्यकुशल प्रशासन बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उपाय सुझाएगा । यह आयोग अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर भी विचार करेगा :-

(i) भारत सरकार का संगठनात्मक ढ़ाँचा ।
(ii) शासन में आचार संहिता ।
(iii) कार्मिक प्रशासन को नया रूप देना ।
(iv) वित्तीय प्रबन्धन प्रणालियों को सुदृढ़ करना ।
(v) राज्य स्तर पर प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने संबंधी कदम ।
(vi) प्रभावी जिला प्रशासन सुनिश्चित करने संबंधी कदम ।
(vii) स्थानीय स्व-शासन/पंचायती राज्य संस्थाएं ।
(viii) सामाजिक धन, ट्रस्ट एवं सहभागितापूर्ण लोक सेवा प्रदान करना ।
(ix) नागरिक केन्द्रित प्रशासन ।
(x) ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना ।
(xi) संघीय राज्य व्यवस्था के मुद्दे ।
(xii) आपदा प्रबन्धन ।
(xiii) लोक व्यवस्था ।

प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत जाँच किये जाने वाले कुछ मुद्दे इस संकल्प की अनुसूची के रूप में संलग्न विचारार्थ विषयों में दिए गये हैं ।

4. यह आयोग रक्षा, रेलवे, विदेश मामले, सुरक्षा तथा आसूचना प्रशासनों की विस्तृत जाँच के साथ-साथ केन्द्र-राज्य संबंधों, न्यायिक सुधारों आदि विषयों, जिनकी पहले से ही अन्य निकायों द्वारा जाँच की जा रही है, को अपने दायरे से बाहर रख सकता है । तथापि, आयोग सरकार के अथवा इसकी किसी सेवा एजेंसी के तंत्र की पुनर्संरचना की अनुशंसा करते हुए इन क्षेत्रों की समस्याओं को ध्यान में रखने के लिये स्वतंत्र होगा ।

5. आयोग राज्य सरकारों के साथ परामर्श की आवश्यकता पर भी पर्याप्त ध्यान देगा ।

6. आयोग अपनी कार्यप्रणाली (आयोग द्वारा समुचित समझे जाने पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श सहित) स्वयं तय करेगा और अपनी सहायता हेतु समितियाँ, परामर्शदाता/सलाहकार नियुक्त करेगा । आयोग विषय से संबंधित उपलब्ध मौजूदा सामग्री तथा रिपोर्टों पर विचार करेगा और सभी मुद्दों पर नये सिरे से सोचने की अपेक्षा उन्हीं के अनुसार आगे कार्रवाई करने हेतु विचार करेगा ।

7. भारत सरकार के मंत्रालय एवं विभाग आयोग द्वारा अपेक्षित सूचना और दस्तावेज तथा अन्य सहायता प्रदान करेंगे । भारत सरकार को आशा है कि राज्य सरकारें तथा अन्य सभी संबंधित आयोग को अपना पूरा सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे ।

8. आयोग अपनी रिपोर्ट (रिपोर्टें) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार को इसके गठन के एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत करेगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों आदि को प्रेषित की जाए ।

यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

(पी. आई. सुव्रतन)
अपर सचिव,

अनुसूची

दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के लिये विचारार्थ विषय

1. **भारत सरकार का संगठनात्मक ढाँचा**

1.1 मंत्रालयों और विभागों का पुनर्गठन

1.1.1 शासन की विकसित हो रही भूमिका और अधिक सहयोग की आवश्यकता के संदर्भ में मंत्रालयों और विभागों की भूमिका का पुनः आकलन तथा उसे पुनः परिभाषित करना ।

1.2 जन-शक्ति योजना और प्रक्रिया पुनर्रचना ।

1.3 वैश्विक एकीकरण, बाजारों के उदय और उदारीकरण के आधुनिक संदर्भ में प्रशासनिक सेवाओं की स्थिति सुनिश्चित करने के लिये उपाय सुझाना ।

1.4 इस बात की जाँच करना कि क्या शासन की वर्तमान पद्धति, समय के मुताबिक सर्वाधिक अनुकूल है ।

1.4.1. उन संभव क्षेत्रों के लिये ढाँचा सुझाना जहाँ सरकारी विनियमन(विनियामकों की जरूरत है और जहाँ इसे कम किया जाना चाहिए ।

1.4.2. कार्यकुशल, मितव्ययी, संवेदनशील, स्वच्छ, वस्तुनिष्ठ और दक्ष प्रशासनिक तंत्र के लिये ढाँचा सुदृढ़ करना ।

2. **शासन (गवर्नेंस) में आचार-संहिता**

2.1 सतर्कता और भ्रष्टाचार

2.1.1. भ्रष्टाचार समाप्त करने तथा ईमानदार सिविल सेवकों को सताए जाने से बचाने के लिये सक्रिय सतर्कता को सुदृढ़ करना तथा जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, कार्यपालकों के विवेक को सीमित करना ।

2.1.2 भ्रष्टाचारियों को दण्ड देने के लिये ढ़ील बरतने के लिए परिणामदायक सुव्यवस्थित कमियों का पता लगाना ।

2.1.3(क) भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली पद्धतियों, नियमों और विनियमों एवं तत्वों की पहचान करना (ख) भ्रष्टाचार तथा मनमाना निर्णय लेने की निरंकुश स्थिति पर रोक लगाने संबंधी उपाय सुझाना, और (ग) दावाधारियों के साथ परामर्श करके इनकी आवधिक समीक्षा के लिये एक ढाँचा सुझाना ।

2.2 राजनीतिक कार्यपालकों तथा स्थाई सिविल सेवकों के बीच सम्बन्धः

2.2.1 सिविल सेवकों और राजनीतिक कार्यपालकों के बीच सहज, कुशल एवं सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिये संस्थानिक प्रबन्धों को बेहतर बनाने संबंधी उपाय सुझाना ।

2.3 सरकार के विभिन्न अंगों के लिये आचरण नियम

2.3.1 राजनीतिक कार्यपालक, सिविल सेवाएँ, आदि ।

3. कार्मिक प्रशासन को बेहतर बनाना

3.1 सिविल सेवाओं में सभी भर्ती के तरीकों, प्रशिक्षण और नियुक्ति में संबंधित नीति का पुनरीक्षण एवं यथा आवश्यक परिवर्तनों को सुझाना ।

3.2 सिविल सेवकों के कार्य निष्पादन को बढ़ाने एवं इसके मूल्यांकन के लिए दिशा-निर्देश उपलब्ध कराना ।

3.3 कैरियर उन्नयन, प्रेरणा और उत्पादकतावृद्धि पर संवर्ग प्रबन्धन के तरीकों को बेहतर बनाना।

3.4 सिविल सेवकों और प्रशासनिक संवर्गों की दक्षता और सक्षमताओं को अद्यतन बनाने हेतु नीतियाँ बनाना तथा क्षमता निर्माण के लिये समुचित मध्यस्थताएं करना ।

3.5 सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों एवं परिणामों को सिविल सेवकों एवं सरकारी कार्मिकों के निष्पादन के साथ जोड़ना ।

4. **वित्तीय प्रबन्धन पद्धतियों को सुदृढ़ करना**

4.1 कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिये निधियों का सरल प्रवाह, लेखाओं के उचित रखरखाव तथा इस उद्देश्य के लिये आवश्यक सूचना/दस्तावेज समय से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिये शासन के सभी स्तरों पर वित्तीय प्रबन्धन पद्धतियों में क्षमता निर्माण करना।

4.2 जिन उद्देश्यों/नतीजों के लिये निधियाँ प्रदान की गई हैं, उनका उन्हीं के लिये समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखा-परीक्षा पद्धति सुदृढ़ करना और इस बात की जाँच करना कि सुपुर्दगी की इकाई लागत इस उद्देश्य के लिए विकसित किये गये बैंचमार्क के मुताबिक है ।

4.3 कार्यक्रमों के प्रदान एवं प्रभाव के बाह्य लेखा परीक्षा एवं आकलन की एक संस्थानिक पद्धति ।

5. **राज्य स्तर पर प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए उपाय**

5.1 राज्यों द्वारा अवधारित परिणाम प्राप्त करने के लिए राज्य प्रशासन में समुचित परिवर्तनों को प्रेरित एवं संवर्द्धित करना ।

5.1.1 उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये राज्य प्रशासन में अपेक्षित परिवर्तन लाना ।

6. **प्रभावी जिला प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए उपाय**

6.1 जनसाधारण के लिए निम्नतम स्तर पर सेवाओं के विनियमन सुगमीकरण और प्रदानीकरण में जिला प्रशासन की केन्द्रीयता को ध्यान में रखते हुए, उसके रूप और अन्तर्वस्तु में प्रगामी आधुनिकीकरण और रूपान्तरण लाना ।

6.2 उत्साह और उत्तरदायित्व से ओत-प्रोत करने और उसे बनाए रखने के लिए प्रक्रियात्मक परिवर्तन लाना ।

6.3 लोक शिकायतों पर कार्रवाई करने और उनके निवारण तंत्र को सुप्रवाही बनाना और उसे व्यापक एवं सुगम बनाना ।

6.4 स्थानीय स्तरों पर कार्यों और संसाधनों का अधिक अंतरण एवं प्रत्यायोजन ।

6.5 विकास संबंधी गतिविधियों में जिला अधिकारियों की समन्वयकारी एवं नेतृत्व संबंधी भूमिका की जाँच करना और उनमें लोगों को भागीदार बनाना ।

7. स्थानीय स्व-शासन/पंचायती राज संस्थाएं

7.1 सार्वजनिक सुविधाओं एवं नागरिक सेवाओं में नागरिकों एवं दावाधारियों की अधिक भागीदारी द्वारा प्रदान तंत्र को बेहतर बनाना ।

7.1.1 पानी, बिजली, स्वास्थ्य, सफाई एवं शिक्षा आदि जैसी जन उपयोगी सेवाएँ ।

7.2 शासन में भागीदारी और नेटवर्किंग को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय स्वशासन संस्थानों को सशक्त करना ।

7.3 स्थानीय निकायों के बेहतर कार्य-निष्पादन के लिये क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण मध्यस्थता को बढ़ावा देना ।

8. सामाजिक पूंजी, न्यास तथा सहभागिक सार्वजनिक सेवा सुपुर्दगी

8.1 सरकारी प्रभावकारिता को बढ़ाने के एक उपकरण के रूप में सरकार के सभी स्तरों पर सामाजिक पूंजी के निवेश और संवर्द्धन के उपाय करना ।

8.2 स्थानीय समुदाय को विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में सक्रिय रूप से साझीदार बनाने के लिये प्रशासन की क्षमता में सुधार करना और उसे सुदृढ़ बनाना ।

8.3 सरकार और नागरिक समाज संस्थाओं के बीच बेहतर सहयोग बनाना ।

8.3.1 प्रशासनिक कार्य-पद्धतियों में नागरिक-केन्द्रिता की वृद्धि करना ।

8.4 कार्यक्रमों के संकल्पनीकरण एवं निष्पादन में जनता के प्रतिनिधियों एवं समुदाय का बड़े पैमाने पर अत्यधिक सहयोग सुनिश्चित करना ।

9. नागरिक केन्द्रित प्रशासन

9.1 जवाबदेह और पारदर्शी सरकार

9.1.1 प्रत्यायोजन, जवाबदेही और पारदर्शिता से संबंधित मुद्दे ।

9.1.2 प्रक्रियात्मक जवाबदेही से उत्पादिता जवाबदेही तथा कारोबारी शासन से रूपान्तकारी शासन की ओर अग्रसर होना ।

9.1.3 सेवाओं के प्रदान में विलंब कम करना तथा तेजी सुनिश्चित करना ।

9.2 प्रशासन को अधिक परिणामोन्मुखी बनाने के लिये प्रगामी मध्यस्थता करना । इन मध्यस्थताओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैः

9.2.1 प्रक्रिया सरलीकरण

9.2.2 लक्ष्य समूह से परामर्श

9.2.3 स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों में लचीलापन ।

9.3 नागरिक केन्द्रित निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करना ।

9.3.1 नागरिक चार्टर आदि के माध्यम से नागरिकों को और अधिक सशक्त बनाना ।

9.4 निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में प्रयोक्ता समूहों की पहुंच को सुविधाजनक बनाना। संचालनात्मक ब्यौरों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है :-

9.4.1 सूचना सुविधा और समाधान केन्द्रों की स्थापना करना ।

9.4.2 शिकायतें प्रस्तुत करने और उनके निवारण के लिए सुविधाएं बढ़ाना तथा तत्संबंधी उत्तर देना ।

9.4.3. सुझाव प्राप्त करने के लिए परामर्शदात्री तंत्र स्थापित करना ।

9.5 **सूचना की स्वतंत्रता**

9.5.1 विशेषकर शासकीय गोपनीयता अधिनियम के संदर्भ में, सरकारी दस्तावेजों के गोपनीयता वर्गीकरण की समीक्षा

9.5.2 पारदर्शिता तथा अवर्गीकृत सूचनाओं/आँकड़ों तक पहुंच को प्रोत्साहित करना ।

9.5.3 नागरिकों के सूचना के अधिकार के अनुपूरक के रूप में सूचना का प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता ।

10. **ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना**

10.1 ई-गवर्नेंस के आधुनिक साधनों, तकनीकों और अवयवों के प्रयोग सहित प्रौद्योगिकी के उपयोग से लालफीताशाही, विलम्ब और असुविधाओं को कम करना ।

10.2 शासन की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने के लिये जानकारी बाँटने को बढ़ावा देना ।

11. संघीय राज्य व्यवस्था संबंधी मुद्दे

11.1 सिविल सेवा के कार्य-निष्पादन को और अच्छा बनाने के लिए संघीय संबंधों के संचालन की समीक्षा करना ।

11.1.1 केन्द्र और राज्यों के बीच विचार-विमर्श जारी रखने के लिए एक मूलभूत पद्धति बनाना।

11.1.2 अखिल भारतीय सेवाओं के लिये विभिन्न राज्यों में मौजूद सेवा की विभेदक स्थितियों में तालमेल बिठाना ।

12. आपदा प्रबन्धन

12.1 प्रशासन के आपातकालीन प्रत्युत्तरों में तेजी लाने के लिए उपाय सुझाना ।

12.2 संकटकालीन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिये प्रशासनिक तंत्र की प्रभावकारिता में वृद्धि करने के उपाय सुझाना और आपदा प्रबंधन की तैयारियों में वृद्धि करना ।

13. लोक व्यवस्था/सार्वजनिक व्यवस्था

13.1 सामाजिक सौहार्द और आर्थिक विकास में सहायक जन व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक तंत्र को मजबूत बनाने संबंधी ढाँचा सुझाना ।

13.2 विवाद समाधान के लिए क्षमता निर्माण करना ।

संस्कृति मंत्रालय

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली-110011, दिनांक 31 अगस्त 2005

(पुरातत्व)

सं. एफ. 9/4/2004-ई.ई. (सी.ए.बी.ए.)--भारत सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संकल्प संख्या एफ. 9/4/2004-ई.ई. (सी.ए.बी.ए.) दिनांक 29.03.2005 के अनुसरण में राज्य सभा तथा लोक सभा सचिवालयों द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड का सदस्य चुना गया है ।

1. श्री एस. एस. चन्द्रन,
   संसद सदस्य (राज्य सभा)
   78, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001

2. श्री बिक्रम केशरी देव,
   संसद सदस्य (लोक सभा)
   188, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001

3. श्री चौधरी बिजेन्द्र सिंह,
   संसद सदस्य (लोक सभा)
   43 और 45, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001

सी. बाबू राजीव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

No.107-Pres/2005 – The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2005 to award the President's Fire Service Medal for Distinguished Service to the undermentioned officers:

SHRI GURU GOVINDA PATTANAIK,
ASSISTANT FIRE OFFICER,
ORISSA.

SHRI SWAPNE SWAR SAMAL,
STATION OFFICER,
ORISSA.

SHRI BIMAL KRUSHNA MOHAPATRA,
ASSISTANT STATION OFFICER,
ORISSA.

SHRI KRUSHNA CHANDRA DASH,
LEADING FIREMAN,
ORISSA.

SHRI TRINITE JAMES,
DIVISIONAL FIRE OFFICER,
PONDICHERRY.

2. This award is made under Rule 3(ii) of the rules governing the award of President's Fire Service Medals.

BARUN MITRA
Director

No.108-Pres/2005 – The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2005 to award the Fire Service Medal for Meritorious Service to the undermentioned officers:-

SHRI MEDASETTY SIMHACHALAM,
LEADING FIREMAN,
ANDHRA PRADESH.

SHRI BETHALA VENKATA SATYANARAYANA MURTHY,
LEADING FIREMAN,
ANDHRA PRADESH.

SHRI PATHVIDA SATYANARYANA,
LEADING FIREMAN,
ANDHRA PRADESH.

SHRI BERAM NAGESWARA RAO,
LEADING FIREMAN,
ANDHRA PRADESH.

SHRI MUDUNURU SIVA RAMA RAJU,
FIREMAN,
ANDHRA PRADESH.

SHRI BUSI VENKATA RAMANA MURTHY,
STATION FIRE OFFICER,
ANDHRA PRADESH.

SHRI UDAYKUMAR SHANTILAL CHRISTIE,
DRIVER-CUM-PUMP OPERATOR,
GUJARAT.

SHRI BALVANTSINGH VIRSINGH JADAV,
FIREMAN,
GUJARAT.

SHRI KHUMANSINGH ABHESINGH CHAUHAN,
DRIVER-CUM-PUMP OPERATOR,
GUJARAT.

SHRI HITESHKUMAR JASHVANTSINH TAPARIA,
DEPUTY CHIEF OFFICER (FIRE),
GUJARAT.

SHRI MOHANAN KANNOTHUM KANDI,
LEADING FIREMAN-2473,
KERALA.

SHRI RAMACHANDRAN NAIR BALAKRISHNAN NAIR,
FIREMAN-2525,
KERALA.

SHRI MOHAMMED IQBAL AYAMON,
FIREMAN DRIVER-CUM-PUMP OPERATOR-1217,
KERALA.

SHRI SUDHAN CH SAHA,
LEADING FIREMAN,
MEGHALAYA.

SHRI JENAMANI RANJAN BIDHUSEKHAR,
ASSISTANT FIRE OFFICER,
ORISSA.

SHRI PRAKASH CHANDRA PANIGRAHI,
ASSISTANT FIRE OFFICER,
ORISSA.

SHRI SIBARAM PANIGRAHI,
STATION OFFICER,
ORISSA.

SHRI RANKA NIDHI SAHOO,
STATION OFFICER,
ORISSA,

SHRI GOLAK CHANDRA JENA,
ASSITANT STATION OFFICER,
ORISSA.

SHRI BHAGABAN SAMAL,
LEADING FIREMAN,
ORISSA.

SHRI BAIKUNTHA NATH BHUYAN,
LEADING FIREMAN,
ORISSA.

SHRI SURENDRA BISOI,
FIREMAN-300,
ORISSA.

SHRI SHISHIR KUMAR BHATTACHARJEE,
FIREMAN-565,
ORISSA.

SHRI ARJUN CHARAN BEHERA,
FIREMAN-813,
ORISSA.

SHRI RANGANATHAN BALAVELAN,
FIREMAN-54,
PONDICHERRY.

SHRI VEERANAN MADURAPANDIAN,
DEPUTY DIRECTOR,
TAMIL NADU.

SHRI RAMASAMY BALSAMI,
DEPUTY DIRECTOR,
TAMIL NADU.

SHRI NARASMIHAM JEEVANANDAM,
DEPUTY DIRECTOR (COURSE),
TAMIL NADU.

SHRI KALIAPERUMAL SATHIAMOORTHY,
ASSISTANT DIVISIONAL OFFICER,
TAMIL NADU.

SHRI BEEMA ARJUNAN,
STATION OFFICER,
TAMIL NADU.

SHRI DURAISAMY GOPAL,
LEADING FIREMAN-3237,
TAMIL NADU.

SHRI RAJAGOPAL MUTHUSAMY,
DRIVER MECHANIC-2802,
TAMIL NADU.

SHRI NANDHAN DAKSHINAMOORTHY,
DRIVER MECHANIC-2819,
TAMIL NADU.

SHRI BASHU ABDUL KALEEL,
FIREMAN DRIVER-2851,
TAMIL NADU.

SHRI KANAGASABAI AYYADURAI,
FIREMAN DRIVER-2860,
TAMIL NADU.

SHRI SAMIKANNU ADAIKALASAMY,
FIREMAN-3007,
TAMIL NADU.

SHRI KANNUSAMY POOMALAI,
FIREMAN-3024,
TAMIL NADU.

SHRI GOPAL KRISHNA BHATTACHARYA,
DEPUTY DIRECTOR,
WEST BENGAL.

SHRI BIBHAS GUHA,
DIVISIONAL OFFICER,
WEST BENGAL.

SHRI TUSHAR KUMAR PODDAR,
MOBILISING OFFICER,
WEST BENGAL.

SHRI MD. OSMAN,
FIRE ENGINE OPERATOR-CUM-DRIVER,
WEST BENGAL.

SHRI BADAL CHANDRA SARKAR,
FIRE OPERATOR,
WEST BENGAL.

2. This award is made under Rule 3(ii) of the rules governing the award of President's Fire Service Medals.

BARUN MITRA

No.109-Pers/2005 – the President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2005 to award the President's Home Guards and Civil Defence Medal for Distinguished Service to the undermentioned officers :-

SHRI H.C. PATHANIA
DISTT. COMMANDANT
MADHYA PRADESH

SHRI M.L. DUBEY
VOL. PLATOON COMMANDER
MADHYA PRADESH

2. This award is made under Rule 3(ii) of the rules governing the grant of Home Guards and Civil Defence Medal.

BARUN MITRA
Director

No.110-Pers/2005 – the President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2005 to award the Home Guards and Civil Defence Medal for Meritorious Service to the undermentioned officers :-

SHRI J.M. JOSHI
DIVISIONAL COMMANDER
GUJARAT

DR. N.K. GUPTE
SECOND-IN-COMMAND
GUJARAT

SHRI C.K. PANDYA
SR. PLATOON COMMANDER
GUJARAT

SHRI A.M. BHAGVAKAR
SECOND-IN-COMMAND
GUJARAT

SHRI K.R. JHALA
SUB. COY. COMMANDER
GUJARAT

SHRI M.S. TRIVEDI
COMPANY COMMANDER
GUJARAT

SHRI K.L. DHANGAR
DISTRICT COMMANDANT
MADHYA PRADESH

SHRI HIRA LAL TRIPATHI
COMPANY COMMANDER
MADHYA PRADESH

SHRI A.P. TRIPATHI
COMPANY COMMANDER
MADHYA PRADESH

SHRI S.R. AZMI
COMPANY COMMANDER
MADHYA PRADESH

SHRI B.M. BHAVE
SUB INSPECTOR (M)
MADHYA PRADESH

SHRI R.S. MISHRA
HAVILDAR INSTRUCTOR
MADHYA PRADESH

MS. A.S. THAKUR
NAIK
MADHYA PRADESH

SHRI R. NAYAK
PLATOON COMMANDER (HG)
ORISSA

SHRI P.C. SAHOO
ASSTT. SEC. LEADER (HG)
ORISSA

MS. SUSILA BEHERA
S.L. (WHGs)
ORISSA

SHRI R.A. KOOLWAL
POST WARDEN (CD)
RAJASTHAN

SHRI M.D. ELANGOVAN
COMPANY COMMANDER
TAMIL NADU

SHRI A. VELUSAMY
COMPANY COMMANDER
TAMIL NADU

SHRI E. ANANDAN
ASSISTANT PLATOON COMMANDER
TAMIL NADU

SHRI R. ELANGOVAN
PLATOON COMMANDER
TAMIL NADU

SHRI R. RAJENDRA PRASAD
COMPANY COMMANDER
TAMIL NADU

SHRI J. SELVARAJ
COMPANY COMMANDER
TAMIL NADU

SHRI S. RAMALINGAM
ASSISTANT PLATOON COMMANDER
TAMIL NADU

SHRI D.K. JOSHI
DEPUTY DIVISIONAL WARDEN
UTTAR PRADESH

SHRI FARMAN ELAHI SAIFI
STAFF OFFICER
UTTAR PRADESH

SHRI RITU RAJ
DEPUTY DIVISIONAL WARDEN
UTTAR PRADESH

SHRI Y.K. RASTOGI
STAFF OFFICER (CD)
UTTAR PRADESH

SHRI R.M. BANTE
MOTOR DRIVER
NCDC NAGPUR

2. This award is made under Rule 3(ii) of the rules governing the grant of Home Guards and Civil Defence Medal.

BARUN MITRA
Director

No. 111– Pres/2005 - The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2005 to award the President's Tatrakshak Medal for Meritorious Service to Deputy Inspector General Surinder Pal Singh Basra (0003-E).

2. This award is made under Rule 11(ii) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal for Meritorious Service.

BARUN MITRA
Director

No. 112– Pres/2005 - The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2005 to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to the undermentioned officers :-

(i) Commandant Ali Muttaher (0104-L)
(ii) Commandant Milind Manohar Patil (0252-V)
(iii) Commandant (JG) Prabhdeep Singh Malhotra (0305-Q)
(iv) Kamal Singh, Uttam Navik (Store Assistant), (03278-Z)

2. This award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13(a) in respect of above mentioned officer with effect from January 2005. Citations in respect of the above officers are enclosed.

BARUN MITRA
Director

Director

CITATION

1. Commandant Ali Muttaher (0104-L) joined the Indian Coast Guard on 17 August 1984. He took over the command of Indian Coast Guard Ship Vivek on 27 April 2004. The officer is the first ever Commercial Pilot Licence (CPL) entry aviator to command an Offshore Patrol Vessel (OPV). The professionalism, dynamism and his ability to motivate the men have transformed the ship into a well-knit afloat unit.

2. On 26 December 2004, while the ship was on routine Exclusive Economic Zone (EEZ) patrol, east of North Andaman Islands, she experienced heavy vibrations. It was later confirmed that the vibrations were due to the earthquake, which rocked South-East Asia with its epicentre lying at 160 kms, west of Sumatra. The magnitude of the quake was measured as 9.0 on the Richter scale. The ship was immediately directed for relief operations in the Great Nicobar Island. On passage, the ship received an order to evacuate stranded police personnel from a police post in the Interview Island. Only four injured police personnel were evacuated, as the others were left to man the post alongwith arms and ammunitions. In the wee hours of 27 December 2004, the ship entered Port Blair harbour and left at 1800 hrs on the same day with 12.5 tonnes of dry provisions, 12 KL of kerosene and other relief material embarked. for Campbell Bay as large scale destructions and loss of life was reported in the Great Nicobar Islands.

3. On its way to Campbell Bay, the ship launched a helicopter for aerial recce off Chowra Islands. The helicopter reported large scale casualties. The ship immediately air dropped its medical team in the Islands. The survivors reported approximately 800 inhabitants either dead or missing. The ship's medical team provided full medical treatment to all injured in the Island and evacuated 25

critically injured people to the ship. Rest of the population were provided with 200 kg rice, 100 kg dal and cooked food for two days. The casualties were evacuated to the Car Nicobar Island for onward transportation to Port Blair. The ship reached Campbell Bay on PM 29 December 04. The first evacuation operation started from Chingam Basti where the ship's helicopter and boat evacuated 67 stranded locals. The ship anchored in the South Bay so that maximum casualties could be evacuated in minimum time. The ship's boat and helicopter were used extensively throughout for evacuations. The day ended with an evacuation of 81 survivors.

4. On 01January 2005, the ship's helicopter whilst returning after an evacuation operation, reported the presence of an Indonesian boat off Campbell Bay. The state of boat and the crew were reported to be unhealthy. They were presumed to be adrift and as the helicopter operations were not possible after the sunset, the Commanding Officer took the decision to send the ship's boat for the rescue of the Indonesian crew. Under the guidance of the Commanding Officer, the operation continued throughout the night and twelve precious lives were saved.

5. The uncertainty of the scenario and adverse weather conditions tested the officer's calibre as Commanding Officer to the hilt, in which the ship undertook the herculean task of embarkation and distribution of relief material and evacuation of valuable lives in a professional manner. In recognition of the excellent command and control, focused goal orientation and tremendous leadership qualities, Commandant Ali Muttaher(0104-L) is strongly recommended for **Tatrakshak Medal (Gallantry).**

CITATION

1. Commandant Milind Manohar Patil (0252-V) joined the Indian Coast Guard on 14 January 1990. He took over as the Coast Guard District Commander Nicobar (COMDIS-10) on 22 May 2004.

2. On 26 December 2004 as Campbell Bay experienced an earthquake of 8.9 on the Richter scale which resulted in the "Tsunami" effect causing unprecedented shock and large scale damage to the Great Nicobar Islands, Commandant MM Patil rushed to confirm that all the Indian Coast Guard families staying at the married accommodation complex at Lal Tekri were safe. Immediately thereafter, he rushed to the Other Than Married (OTM) complex alongwith the personnel living in married accommodation to check their status. On confirming the safety of inliving enrolled personnel, Commandant MM Patil focused his attention on the Campbell Bay town.

3. He formed a disaster management team consisting of all local heads of the Govt organisations. Since the Campbell Bay jetty was totally destroyed, he rushed to check the state of the runway. The airfield was the only link between the Campbell Bay and the outside world. Though the tsunami had brought large quantity of debris on the runway, he assessed that the runway was still useable. The officer with help of the Military Engineering Service (MES) got down to the task of clearing the runway. It was due to his foresight and determination the runway was made operational in record time resulting in the Campbell Bay receiving relief material in large quantities.

4. Commandant MM Patil established communication with the Indian Coast Guard Ship Kanaklata Barua, which was operating in the nearby area and

prepared for evacuation of injured persons from various places. He worked tirelessly to collect all possible resources to set up camps and to ensure the much sought after relief to the injured and affected persons. He was instrumental in pulling a number of vehicles and boats, out of the rubble and making them operational. He ensured that all the evacuated persons, as many as 3000, were given first meal and medical aid in the improvised camps set up by the India Coast Guard. Understanding the importance of teamwork in such eventualities, Commandant MM Patil managed the unstinted support of the other components of the Andaman and Nicobar Command as well as, the other civil organisations. He provided logistic support to the Directorate Shipping Services ship MV Katchal and deployed her to Little Nicobar Islands group from where the ship evacuated approximately 200 survivors. He deputed a team of Military Engineering Service, Andaman Public Works Department and Andaman and Lakshadweep Harbour Works reps to survey the road leading to Indira Point for assessing the feasibility of undertaking temporary repairs. Within a few days, he was overseeing the administration of fourteen relief camps accommodating as many as 5800 persons. The officer ensured the requisite co-ordination amongst various agencies so that the relief operations had achieved the desired results. His able leadership resulted in the successful evacuation of thousands of stranded personnel and in saving valuable lives.

5. The District Headquarters (Nicobar) OTM complex being in low-lying area was totally devastated due to Tsunami. With excellent public relations Commandant MM Patil managed to get 9.18 hectare of revenue land allotted to the Indian Coast Guard from civil administration for relocation of the District Headquarters Nicobar OTM complex. The timely action initiated by him helped the Indian Coast Guard to restore functioning of the District Headquarters.

6. In view of the extraordinary display of courage in face of enormous danger, level-headed thinking under extremely stressful conditions, high leadership qualities and efficient resources management, Commandant Milind Manohar Patil (0252-V) is strongly recommended for the award of **Tatrakshak Medal(Gallantry).**

CITATION

1. Commandant (JG) PS Malhotra (0305-S) joined the Indian Coast Guard on 11 January 1992. He joined 848 Coast Guard helicopter Squadron as staff pilot on 28 June 2002. He has a flying experience of 2265 hrs and is a fully operational pilot on Chetak helicopter with the highest possible rating (Master Green). The officer is an efficient flier who has been instrumental in the squadron meeting all its operational and assigned tasks.

2. On the fateful day of 26 December 2004 at 0845 hrs, a Search and Rescue (SAR) call was received by the Coast Guard Air Station (Chennai), indicating that high waves had engulfed the Marina beach. Reacting with alacrity, Commandant (JG) PS Malhotra rushed to the aircraft and got airborne instantaneously alongwith a co-pilot and two aircrew divers in no time. At Marina beach, the pilots witnessed the unprecedented havoc, which the Tsunami waves had created. Boats, hutments and personal belongings were all tossed up and down. Realising the gravity of the situation, Commandant (JG) Malhotra swung into action and initiated a concerted search pattern over the sea. Soon the helicopter located a man floating on a small plank, frantically waving for help. They promptly lowered the free diver near the drowning man. The diver secured the man with the rescue strop and winched him up into the aircraft. The person was immediately evacuated for medical aid. The search was resumed and two more fishermen were spotted struggling to survive by holding a sinking boat off Royapuram fishing harbour. The fishermen were winched up and evacuated to the nearest landing place, a narrow fishing jetty. The aircraft was low on fuel by then and the pilots decided to return to the base. Without wasting any time Commandant (JG) PS Malhotra got another helicopter ready and within five minutes got airborne. A number of fishermen were struggling to survive as their boats were broken into pieces. The survivors were quickly picked up from the

sea and handed over to the persons standing on the breakwater with an ambulance. The breakwater was quite narrow, but displaying precision and utmost flying skills, they landed on it repeatedly till all 11 survivors were handed over safely to the awaiting ambulance.

3. The sea was very choppy and the winds were strong. Locating, hovering and winching up the survivors were tricky and tiring. It was a gruelling task but Commandant (JG) Malhotra, exhibited utmost perseverance, devotion to duty and immense moral courage in rescuing fourteen precious human lives from the clutches of certain death. They flew continuously for five hours and saved all the survivors within their range. The rescue operations carried out by the Indian Coast Guard helicopters off Marina beach were given extensive media coverage and lauded the world over.

4. Commandant (JG) PS Malhotra exhibited exemplary bravery, devotion to duty, supreme crew co-ordination and decisiveness, which resulted in saving fourteen precious lives at sea and retrieval of six dead bodies from the sea. He has upheld the high traditions of the Indian Coast Guard service and its motto, "We Protect" and has brought immense laurels to the Indian Coast Guard Service. Commandant (JG) PS Malhotra (0305-Q) is strongly recommended for the award of **Tatrakshak Medal (Gallantry).**

CITATION

1. Kamal Singh, Uttam Navik (Store Assistant), an Aircrew Diver (03278-Z) joined the Indian Coast Guard on 02 August 1996. He reported at 848 Coast Guard Helicopter Squadron, Chennai on 23 January 2003.

2. On the fateful day of 26 December 2004, when the killer Tsunami struck Tamil Nadu coast, Kamal Singh, Uttam Navik, was the Aircrew diver in the Search and Rescue (SAR) sorties undertaken by the Indian Coast Guard 814

helicopter. He was briefed about the grave challenges of rescuing people from the choppy seas caused by the Tsunami waves. He willingly came forward to fight the natural disaster and was ready to save lives of the people in distress, unmindful of his personal safety.

3. Over the Marina beach, many pieces of broken boats and catamaran were seen floating and few survivors were found holding on to these pieces, waving for help. Kamal Singh, Uttam Navik, was immediately lowered by the Coast Guard Helicopter 814 on these damaged and drifting boats, which were tossing and swinging dangerously due to the rough seas. He had to push the boat's superstructure away from him, repeatedly to protect himself from getting hurt. Braving the difficulties, Kamal Singh, Uttam Navik, landed on the damaged boats and managed to put on the rescue strop around the survivors. These survivors were picked up and dropped at the nearest breakwater. However, Kamal Singh, Uttam Navik, was left behind to take care of the remaining survivors. It was a very difficult task as the panic stricken survivors, at times, held him so tight that he had to break loose to prevent himself from drowning along with them. This process continued and Kamal Singh, Uttam Navik, rescued eleven stranded survivors from various damaged boats, submerged catamaran pieces and floating wooden planks in quick succession.

4. Kamal Singh, Uttam Navik, has displayed exceptional devotion to duty and without caring for his personal safety, saved eleven survivors and recovered four dead bodies in the rough sea, thereby bringing laurels to the service. This dedication and courageous act is in conformity with the highest traditions of the Indian Coast Guard. Kamal Singh, Uttam Navik (SA) ACD (03278-Z) is strongly recommended for the award of **Tatrakshak Medal(Gallantry).**

No. 113 – Pres/2005 -The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2005, to award the Tatrakshak Medal for Meritorious Service to the undermentioned officers :

(i) Commandant Dinesh Rajaputhran (0142-V)
(ii) Commandant Aloke Kumar (0231-X)
(ii) Commandant (JG) Atul Chandrakant Dandekar (0291-L)
(iv) Vijay Kumar Singh, Adhikari (QA), (00589-R)

2. This award is made under Rule 11(ii) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal for Meritorious Service.

BARUN MITRA
Director

No.114 Pres./2005- The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2005 to award the Correctional Service Medal for Meritorious Service to the following prison personnel :-

i) Shri Gopal Prasad Tamrakar, Jail Superintendent, Bhopal.

ii) Shri Ravi Raj Singh, Superintendent, Distt. Jail, Shajapur.

iii) Shri Prabhu Lal Labana, Jailor, Sub Jail, Dewas.

iv) Shri Rajendra Prasad Mishra, Deputy Jailor, Sub Jail, Bijawar.

v) Shri Vasant Rao Sagane, Male Nurse, Central Jail, Rewa.

vi) Shri Bhanu Prakash Sharma, Teacher, Central Jail, Gwalior.

vii) Shri A. Devaraj, Assistant Jailor, Central Prison, Vellore.

viii) Smt. R. Vijaya, Chief Head, Warder (Female), Sub Jail, Villupuram

ix) Shri T. Sivashanmuga Sundaram, Grade I Warder, Sub Jail, Chengalpet

x) Shri N. Esakkiappan, Grade I Warder, Central Prison, Chennai.

xi) Shri N. Assensa Ibrahim, Grade I Warder, Central Prison, Madurai.

xii) Shri P. Balasubramanian, Grade II Warder, Central Prison, Madurai.

2. These awards are made under Rule 4(iii) of the Rules governing the grant of Correctional Service Medal for Meritorious Service.

BARUN MITRA
Director

No. 115-Pres/2005 – The President is pleased to award the President's Fire Service Medal for Gallantry to the under-mentioned Officer :-

Shri Anil Chudaman Mahajan,
Chief Fire Officer,
Nashik,
Maharashtra

On 21st February,2004 at 0645 hours a call was received at Nashik Fire Station informing that a leopard has entered the premises of Hotel Rasoi at Nashik.

Immediately Shri Anil Chudaman Mahajan, Chief Fire Officer alongwith his staff rushed to the spot. On arrival Shri Anil Chudaman Mahajan, Chief Fire Officer, noticed that a leopard after straying in the forest entered into the hotel building and got entangled in the mosquito net with its front leg trapped between the doorframe and shutter. Senior officers present at the site were planning to trap the leopard alive for this purpose a tranquilizer gun and cage were asked for. All of a sudden the leopard succeeded to escape from trapped position and came out of the hotel premises. Sensing danger to the people in the vicinity Shri Anil Chudaman Mahajan and his fire staff planned to trap the leopard under a nylon net. Shri Hemant Dalvi, a volunteer and Shri Mahesh Singh, a cook in the hotel also joined the team. When Shri Mahajan with his team was trying to trap the leopard, Shri Hemant and Shri Mahesh were caught by the leopard and were wounded. With total disregard to his own safety Sh. Mahajan grappled with the leopard bare handed and inspite of grave injuries on his body he managed to save the life of Shri Hemant Dalvi and Shri Mahesh Singh.

Shri Anil Chudaman Mahajan thus, displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, leadership, professional expertise and devotion to duty of the highest order.

This award is made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under Rule 5(a) w.e.f. 21.2.2004.

BARUN MITRA
Director

No. 116-Pres/2005 – The President is pleased to award the Fire Service Medal for Gallantry to the under-mentioned Officer :-

Shri Padma Nava Behera
Fireman No. 1714
Orissa

On 16th June, 2004 at 0510 hours a call was received at Cuttack Fire Station informing that two persons were drowning in the strong current of Kathajodi river, Cuttack.

Immediately Shri Padamanava Behera, a crew member of the Fire Station, rushed to the spot. On arrival at the bank of the river he noticed that Shri Ranjan Pradhan and Shri Kalia Moharana were being swept away in the strong current of the river. Both of them were miserably struggling for their life. In the crowded viewers, no body could dare to step out for rescue of victims. Realising danger to their lives, Shri Padma Nava Behera, Fireman and Shri Bibekananda Das, Fireman, maintaining absolute control and skill, ventured into the fast flowing river. They managed to get hold of the arms of both the victims and after struggling in the strong currents of the river succeeded in bringing Shri Ranjan Pradhan and Shri Kalia Moharana safely out of the river.

Shri Padma Nava Behera thus, displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, leadership, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

This award is made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under Rule 5(a) w.e.f. 16.6.2004.

BARUN MITRA
Director

No. 117-Pres/2005 – The President is pleased to award the Fire Service Medal for Gallantry to the under-mentioned Officer :-

Shri Bibekananda Das,
Fireman No. 754,
Orissa.

On 16th June, 2004 at 0510 hours a call was received at Cuttack Fire Station informing that two persons were drowning in the strong current of Kathajodi river, Cuttack.

Immediately Shri Bibekananda Das, a crew member of the Fire Station, rushed to the spot. On arrival at the bank of the river he noticed that Shri Ranjan Pradhan and Shri Kalia Moharana were being swept away in the strong current of the river. Both of them were miserably struggling for their life. In the crowded viewers, nobody could dare to step out for rescue of cictims. Realising danger to their lives, Shri Bibekananda Das, Fireman and Shri Padma Nava Behera, Fireman, maintaining absolute control and skill, ventured into the fast flowing river. They managed to get hold of the arms of both the victims and after struggling in the strong currents of the river succeeded in bringing Shri Ranjan Pradhan and Shri Kalia Moharana safely out of the river.

Shri Bibekananda Das thus, displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, leadership, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

This award is made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under Rule 5(a) w.e.f. 16.6.2004.

BARUN MITRA
Director

No. 118-Pres/2005 – The President is pleased to award the Fire Service Medal for Gallantry to the under-mentioned Officer :-

Shri Pratap Kumar Singh,
Fireman 1341,
Orissa.

On 30th August, 2004 at 1655 hours a call was received at Dhenkanal Fire Station informing that a lady has fallen inside a well at village Gudianalli.

Immediately Shri Pratap Kumar Singh, Fireman, a crew member of the Fire Station, rushed to the spot. On arrival he noticed that Smt. Pushpanjali Behera, aged about 35 years, had fallen into a well and was struggling for survival. The well was very narrow and none of the persons in the vicinity dared to enter the well to rescue her. Without regard to his personal safety, Shri Pratap Kumar Singh, Fireman, entered into the well with the help of a improvised rope ladder. He, then secured Smt. Pushpanjali Behera with his legs both of them were pulled out by the other members of the fire crew safely.

Shri Pratap Kumar Singh thus displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, leadership, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

This award is made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under Rule 5(a) w.e.f. 30.8.2004.

BARUN MITRA
Director

No. 119-Pres/2005 – The President is pleased to award the Fire Service Medal for Gallantry to the under-mentioned Officer :-

Shri Kanhu Charan Swain,
Fireman 268,
Orissa.

On 14th August, 2004 at 0640 hours a call was received at Athagarh Fire Station informing that a lady has fallen inside a deep well at village Khuntakata, Cuttack.

Immediately Shri Kanhu Charan Swain, Fireman, a crewmember of the Fire Station, rushed to the spot. On arrival he found that Smt. Nami Behera had fallen into a well, which was in a dilapidated condition. None of the persons in the vicinity was ready to enter the well to rescue her. Shri Kanhu Charan Swain, Fireman without regard to his life, descended into the well with the help of improvised ladder rope and observed that Smt. Nami Behera was in a unconscious state and was leaning against the wall of the well. After protracted efforts and using his fireman skills of a high order, Shri Swain managed to tie her onto his shoulders and both of them were pulled out by the other members of the fire crew. Shri Swain sustained injuries to his head.

Shri Kanhu Charan Swain thus, displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, leadership, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

This award is made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under Rule 5(a) w.e.f. 14.8.2004.

BARUN MITRA
Director

No. 120-Pres/2005 – The President is pleased to award the Fire Service Medal for Gallantry to the under-mentioned Officer :-

Shri Kanwar Pal,
Fireman,
Uttar Pradesh.

On 27th November, 2003 at 0205 hours a call was received through Police Control Room informing that a TATA Sumo carrying 12 passengers had collided with the railing of a bridge and plunged into the Ganga Canal near Jani Khurd, Meerut.

Immediately Shri Kanwar Pal, Fireman, a crewmember of the Fire Station, rushed to the spot. On arrival he noticed that 12 passengers traveling in Tata Sumo were struggling for survival in the Ganga canal. Due to cold weather, the area was covered with dense fog and visibility was extremely poor. Without disregard to his personal safety, Shri Kanwar Pal descended into Ganga Canal with the help of a fire brigade ladder, he then swam a long distance to reach the victims after struggling in the cold water of the canal, succeeded in rescuing five persons from the Canal.

Shri Kanwar Pal thus, displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, leadership, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

This award is made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under Rule 5(a) w.e.f. 27.11.2003.

BARUN MITRA
Director

No. 121-Pres/2005 – The President is pleased to award the Fire Service Medal for Gallantry to the under-mentioned Officer :-

Shri Surendra Singh
Fire Service Driver
Uttar Pradesh

On 27th November, 2003 at 0205 hours a call was received through Police Control Room informing that a TATA Sumo carrying 12 passengers had collided with the railing of a bridge and plunged into the Ganga Canal near Jani Khurd, Meerut.

Immediately Shri Surendra Singh, Fire Service Driver, a crewmember of the Fire Station, rushed to the spot. On arrival he noticed that 12 passengers traveling in Tata Sumo were struggling for survival in the Ganga canal. Due to cold weather, the area was covered with dense fog and visibility was extremely poor. Without disregard to his personal safety, Shri Surendra Singh descended into Ganga Canal with the help of a fire brigade ladder, he then swam a long distance to reach the victims after struggling in the cold water of the canal, succeeded in rescuing seven persons from the Canal.

Shri Surendra Singh thus, displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, leadership, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

This award is made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under Rule 5(a) w.e.f. 27.11.2003.

BARUN MITRA
Director

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS
(DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS
AND PUBLIC GRIEVANCES)

New Delhi, the 31st August 2005

No. K-11022/9/2004-RC. -- The President is pleased to set up a Commission of Inquiry to be called the second Administrative Reforms Commission (ARC) to prepare a detailed blueprint for revamping the public administration system.

2. The Commission will consist of the following :

(i)	Shri Veerappa Moily	-	Chairperson
(ii)	Shri V. Ramachandran	-	Member
(iii)	Dr. A.P. Mukherjee	-	Member
(iv)	Dr. A.H. Kalro	-	Member
(v)	Dr. Jayaprakash Narayan	-	Member
(vi)	Smt. Vineeta Rai	-	Member-Secretary

3. The Commission will suggest measures to achieve a proactive, responsive, accountable, sustainable and efficient administration for the country at all levels of the government. The Commission will, inter alia, consider the following :

(i) Organisational structure of the Government of India
(ii) Ethics in governance
(iii) Refurbishing of Personnel Administration
(iv) Strengthening of Financial Management Systems
(v) Steps to ensure effective administration at the State level
(vi) Steps to ensure effective District Administration
(vii) Local Self-Government/Panchayati Raj Institutions

(viii) Social Capital, Trust and Participative public service delivery
(ix) Citizen-centric administration
(x) Promoting e-governance
(xi) Issues of Federal Polity
(xii) Crisis Management
(xiii) Public Order

Some of the issues to be examined under each head are given in the Terms of Reference attached as a Schedule to this Resolution.

4. The Commission may exclude from its purview the detailed examination of administration of Defence, Railways, External Affairs, Security and Intelligence, as also subjects such as Centre-State relations, judicial reforms etc. which are already being examined by other bodies. The Commission will, however, be free to take the problems of these sectors into account in recommending re-organisation of the machinery of the Government or of any of its service agencies.

5. The Commission will give due consideration to the need for consultation with the State Governments.

6. The Commission will devise its own procedures (including for consultations with the State Government as may be considered appropriate by the Commission), and may appoint committees, consultants/advisers to assist it. The Commission may take into account the existing material and reports available on the subject and consider building upon the same rather than attempting to address all the issues *ab initio*.

7. The Ministries and Departments of the Government of India will furnish such information and documents and provide other assistance as may be required by the Commission. The Government

of India trusts that the State Governments and all others concerned will extend their fullest cooperation and assistance to the Commission.

8. The Commission will furnish its report(s) to the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Government of India, within one year of its constitution.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries and Departments of the Government of India, State Governments, Administrations of Union Territories, etc. etc.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P.. I. SUVRATHAN
Additional Secretary

SCHEDULE

TERMS OF REFERENCE FOR THE SECOND ADMINISTRATIVE REFORMS COMMISSION

1. Organizational Structure of the Government of India

1.1 Reorganization of Ministries and Departments

1.1.1 Revisiting and redefining the role of the Ministries and Departments in the context of evolving role of governance and need for greater collaboration.

1.2 Manpower planning and Process re-engineering.

1.3 Suggest ways to position the administrative services in the modern context of global integration, emergence of markets and liberalisation.

1.4 To examine if the present system of governance is optimally suited to the environment of the times

1.4.1 To suggest a framework for possible areas where there is need for governmental regulation (regulators) and those where it should be reduced.

1.4.2 To strengthen the framework for efficient, economical, sensitive, clean, objective and agile administrative machinery.

2. Ethics in Governance

2.1 Vigilance and Corruption:

2.1.1 Strengthening pro-active vigilance to eliminate corruption and harassment to honest civil servants including, wherever necessary, limiting executive discretion.

2.1.2 Addressing systemic deficiencies manifesting in reluctance to punish the corrupt.

2.1.3(a) Identify procedures, rules and regulations and factors which lead to corruption (b) suggest measures to combat corruption and arbitrary decision making, and (c) suggest a framework for their periodical review in consultation with the stakeholders.

2.2 Relationship between Political Executive and Permanent Civil Service:

2.2.1 To suggest improvements in the institutional arrangements for smooth, efficient and harmonious relationship between civil service and the political executive.

2.3 Code of Conduct for different organs of Government.

2.3.1 Political Executive, Civil Services, etc.

3. Refurbishing of Personnel Administration

3.1 Review the policy relating to, and all methods of recruitment, training and placement and suggest changes, if required.

3.2. Provide guidelines for enhancing performance of civil servants and its appraisal.

3.3. Improved methods of cadre management focussing on career progression, motivation and productivity enhancement.

3.4 Strategies for up-gradation of skills and competencies of civil servants and administrative cadres and appropriate interventions for capacity building.

3.5 Linking of performance of Civil Servants and Government personnel to social and economic objectives and outcomes.

4. Strengthening Financial Management Systems

4.1 Capacity building in financial management systems at all levels of Governance, to ensure smooth flow of

funds for programmes/ projects, proper maintenance of accounts and timely furnishing of necessary information/ documents for this purpose.

4.2 Strengthening of internal audit systems, to ensure proper utilisation of funds for the purposes/outcomes for which they have been provided, and checking that unit cost of delivery/outcome is as per benchmark developed for this purpose.

4.3 An institutionalised method of external audit and assessment of the delivery and impact of programmes.

5. Steps to ensure effective administration at the State level

5.1 To encourage and promote appropriate changes in State Administration in the governance of the States to achieve envisaged outcomes.

5.1.1 Changes required in the State administration to achieve the objectives.

6. Steps to ensure effective District Administration

6.1 Progressive modernization and transformation of district administration in form and content keeping in mind the centrality thereof in regulating, facilitating and delivering services at the grass-root level.

6.2 Bringing about systemic changes to infuse and sustain vibrancy and responsiveness.

6.3 Streamlining and fine-tuning a comprehensive and accessible public grievance handling and redress mechanism.

6.4 Greater devolution and delegation of functions and resources to the local levels.

6.5 Examine the coordinating and leadership role of the District Officer in developmental activities and enlisting peoples' participation therein.

7. Local Self Government/ Panchayati Raj Institutions

7.1 Improving delivery mechanism of public utilities and civic services with greater citizens' and stakeholders' involvement in such processes

7.1.1 Utilities like water, power, health and sanitation, education etc.

7.2 Empowerment of local self-government institutions for encouraging participative governance and networking.

7.3 To encourage capacity building and training interventions for better performance of local bodies.

8. Social Capital, Trust and Participative public service delivery

8.1 Ways of investing and promoting social capital at all levels of government as an instrument of enhancing governmental effectiveness.

8.2 Improve and strengthen the capability of the administration to proactively partner with local community, particularly in remote areas.

8.3 Better synergy between the government and the Civil Society Institutions

8.3.1 Increase the people-centric ness of the administrative approaches.

8.4 Ensuring greater involvement of people's representatives and community at large in the conceptualization and execution of programmes.

9. Citizen Centric Administration

9.1 Accountable and Transparent Government

9.1.1 Issues of delegation, accountability and transparency

9.1.2 Move from Processes Accountability to Productivity Accountability and from Transactional to Transformative Governance.

9.1.3 Reduce delays and ensure promptness in delivery of services

9.2 Progressive Interventions to make administration more result oriented. These interventions, inter-alia, include:

9.2.1 Process Simplification

9.2.2 Target Group Consultations

9.2.3 Flexibility to implementing agencies customised to local needs.

9.3 Strengthening Citizen Centric decision making.

9.3.1 To further empower the citizen through Citizens' Charter etc.

9.4 To facilitate accessibility of user groups to decision-making processes. The operational details, inter alia, may include:

9.4.1 Setting up of Information Facilitation and Solution Centres.

9.4.2 Augmenting facilities for submission and redress of grievances and providing replies thereto.

9.4.3 Setting up consultative mechanism for receiving suggestions

9.5 Freedom of Information

9.5.1 To review the confidentiality classification of government documents specially with reference to the Officials Secrets Act.

9.5.2 To encourage transparency and access to non-classified data.

9.5.3 Disclosure of information and transparency as a supplement to the Right to Information of the citizens.

10. Promoting e-governance

10.1 To reduce red-tape, delay and inconveniences through technology interventions including the use of modern tools, techniques and instruments of e-governance.

10.2 Promote knowledge sharing to realise continuous improvement in the quality of governance.

11. Issues of Federal Polity

11.1 Review the operation of the federal relationship to better the civil service performance

11.1.1 Framework for continuing interaction between Centre and the States.

11.1.2 Harmonise differential conditions of service prevalent across different States for All India Services

12. Crisis Management

12.1 Suggest ways to quicken the Emergency Responses of administration

12.2 Suggest ways to increase the effectiveness of the machinery to meet the crisis situation and enhance crisis preparedness.

13. Public order

13.1 Suggest a framework to strengthen administrative machinery to maintain public order conducive to social harmony and economic development.

13.2 Capacity building for conflict resolution.

MINISTRY OF CULTURE

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

New Delhi-110011, the 31st August 2005

(ARCHAEOLOGY)

No. F. 9/4/2004-EE(CABA)—In pursuance of the Government of India, Archaeological Survey of India's Resolution No. F. 9/4/2004-EE(CABA) dated 29.03.2005 the under mentioned Members have been elected by the Rajya Sabha and Lok Sabha Secretariats to be the Members of Central Advisory Board of Archaeology.

1. Shri S. S. Chandran,
   Member of Parliament (Rajya Sabha),
   78, North Avenue,
   New Delhi-110 001.
2. Shri Bikram Keshari Deo,
   Member of Parliament (Lok Sabha),
   188, South Avenue,
   New Delhi-110 001.
3. Shri Choudhary Bijendra Singh,
   Member of Parliament (Lok Sabha),
   43 & 45, South Avenue,
   New Delhi-110 001.

C. BABU RAJEEV
Director General

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2005
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2005